

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18



तम्बाकू बोर्ड





Explore the enticing array of Indian Tobaccos and products

Experience the true blend of aroma, flavour and taste of Indian tobaccos from a wide range of Flue Cured Virginia, Burley HDBRG, Dark Air / Sun Cured, Oriental, Rustica, Bidi, Chewing tobaccos, Dark Fire Cured and more...



India is the third largest producer of quality tobaccos. Its tobaccos are preferred in blends of over 114 countries across the globe.

State-of-the-art processing plants to meet exacting international processing specifications. Quality assurance of end product at most competitive prices.

Offers wide range of products -cigarettes, bidis, hookah tobacco paste, chewing tobacco, snuff etc., to immensely satisfy its customers.

India - the right destination for quality tobaccos



An ISO Certified Organisation

Tobacco Board
Ministry of Commerce., Government of India

Guntur - 522 004 (A. P) India.
Ph : +91 863 2354443, 2358399
Fax : +91 863 2354232
e-mail : info@indiantobacco.com
web site : www.indiantobacco.com



विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध	6-7
2017-18 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की क्रियाकलाप - एक पुनरवलोकन	8
2017-18 के दौरान बैठकें	9-10
दि. 31/03/2018 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण	11
तम्बाकू बोर्ड के संगठनात्मक चार्ट	12
फसल योजना & नियंत्रण	
I. भारत में एफसीवी तम्बाकू के उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	13
II. 2017-18 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	13
III. 2017-18 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टिताएँ	13-14
IV. 2017-18 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टिताएँ	14-15
V. 2017-18 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार क्षेत्र तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	15
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	16
VII. 2017-18 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों का विवरण	16
VIII. 2017-18 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	17-20
IX. 2017-18 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	20-25
X. 2017-18 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू विक्रय	25
XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	25-26
2017-18 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	27-28
2017-18 कर्नाटका फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	29
विस्तार और परामर्श सेवाएँ	
I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	31-34
II. विस्तार एवं विकासात्मक योजनाएँ	34-42
III. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	42-48
IV. 2017-18 में विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	49

2017-18 फसल मौसम लक्ष्य और उपलब्धियाँ - विस्तार & विकास योजनाएँ	50-52
2017-18 के दौरान विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत	
अजा/अजजा/महिला एवं अन्य ग्रोयरों का आच्छेदन	53-56

ग्रोयरों कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I. तम्बाकू बोर्ड का ग्रोयर कल्याण निधि	57
II. मिट्टी व जल विश्लेषण	57
III. एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए बखार और स्टॉक बीमा	58
IV. ग्रोयरों को ऋण सुविधाएँ	58
2017-18 के दौरा अनुदान/ व्याज मुक्त ऋण विवरण	59

प्लैटफार्म पर नीलामकार की सेवाएँ

I. आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	60-67
II. कर्नाटका में 2017-18 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	67-69
III. आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2017 कर्नाटका नीलाम - दि. 31/03/2018 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू का परिमाण, प्राप्त औसतम मूल्य, दर्ज किये उच्चतम और निम्नतम बोली।	70-72
2018 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - दि. 31/03/2018 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू का परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य, दर्ज किये उच्चतम और निम्नतम बोली	73
01/04/2017 से 31/03/2018 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में क्रेतावार खरीदी	74-75
	76-77

व्यापार संक्षेप

I. मूल्य समर्थन प्रचालन	78
II. प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलर के रूप में पंजीकरण	78

भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के विपणन एवं निर्यात

I. भारत से तम्बाकू निर्यात	79-83
II. निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ	83

राजभाषा कार्यान्वयन

I.	राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशाला	84-85
----	---	-------

वित्त एवं लेखा

I.	आंतरिक साधन	86
II.	बजट अनुमान	87
III.	दि. 31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट	88-90
III.	तम्बाकू निधि लेखा - 31/03/2018 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र 31/03/2018 अंत तक वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र)	91
	अनुसूची - 24: 31/03/2018 वर्ष अंत तक के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	92
	अनुसूची - 25: 31/03/2018 वर्ष अंत तक के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ तथा नोट	93-95
	31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर नोट	96-100
	वित्त व लेखा विवरण	101- 112
	2004-05 से 2017-18 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण	113-122
	संकेताक्षर	123
		124

बोर्ड संघटन

दि. 31/03/2018 तक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था।

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय & अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड
धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय-कार्यपालक निदेशक
धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री जयदेव गल्ला, माननीय संसद-सदस्य (लोक सभा)

श्री गोकराजु गंगराजू, माननीय संसद-सदस्य (लोक सभा)

श्री आर.के. सिन्हा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ज) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

निदेशक (कृषि सम्बधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय।

श्री एन. रमेश, निदेशक (वाणिज्य सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

मिस. रूपा दत्ता, आर्थिक सलाहकार (वित्त सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

श्री शांती स्वरूप गुप्ता, उप सचिव, निदेशक (औद्योगिक विकास सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग।

डॉ. डी.दामोदर रेड्डी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम

डॉ. संजय प्रसाद, कृषि निदेशक (प्रभारी), गुजरात सरकार।

श्री बी.वाई. श्रीनिवास, कृषि निदेशक, कर्नाटक सरकार।

श्री बुडिति राजशेखर, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, खाद्य & कृषि विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

-

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री पी.वी. बसवराजप्पा, उपाध्यक्ष

श्री कृष्ण कुमार मिश्रा

श्री गहुमनुगु सत्यनारायण

श्री सी. किरण कुमार

श्री बालिनेनी सीताय्या

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री के.एस. श्रीनिवास, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

वरिष्ठ प्रबंध

(दि. 31/03/2018 तक)

प्रबंध और वरिष्ठ कर्मचारीगण

कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी)

श्री टी. वेंकटेश., भा.प्र.से., दि. 30/11/2017 तक

श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से.,

संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

& कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी), तम्बाकू बोर्ड

दि. 30/11/2017 से

सचिव

श्री अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

दि. 12/09/2017 से

निदेशक (नीलाम)

श्री बिपिन बिहारी चौधुरी, आईओएफएस.,

प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

श्री सी.एस.एस. पट्टनायक

दि. 30/09/2017 तक & सचिव (पू.अ.प्र) दि. 11/09/2017 तक

श्रीमती पी. मीना कुमारी, प्रबंधक (वि.व.ले), (प्रभारी) दि. 23/10/2017 से

श्री के. रवि कुमार

श्री आर. सुब्बाराव चौधुरी

श्री सीएच.वी. मालती प्रसाद

श्री पी. रमेश दि. 04/12/2017 से

श्री जी. उमामहेश्वर राव

प्रबंधक (नीलाम)

श्री जी. रत्न सागर

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

श्री के. चंद्रशेखर राव दि. 11/09/2017 से

प्रबंधक (विस्तार) (प्रभारी)

श्री ए.वी. शिवरुद्रस्या

प्रबंधक (उत्पादन) (प्रभारी)

श्री बी. मंजू राजू

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि, ओंगोल)

श्री जे. सुरेन्द्र रेड्डी

प्रादेशिक प्रबंधक (दहमि, ओंगोल)

श्री सी. गोपीनाथ

प्रादेशिक प्रबंधक (उ.ह.मि, राजमहेन्द्रवरम) (प्रभारी)

श्री सी.ए.म.ए जलील अहमद

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर)

कार्मिक अधिकारी

सहायक प्रबंधक (यो.व.स)

ओ.एस.डी. (सतर्कता)

कर्मचारी गण

अधिकारीगण : 83

कर्मचारीगण : 434

कुल : 517

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पोर्ट बॉक्स नं. 322, जी.टी. रोड, गुण्डूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

0863-2358399/0863-2354232

info@indiantobacco.com/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से.,
कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी)



बिपिन बिहारी चौधुरी, आईओएफएस.,
निदेशक (नीलाम)



अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से
सचिव



के. रवि कुमार
प्रबंधक (नीलाम)



आर. सुब्बाराव चौधरी
प्रबंधक (विष्वनन & निर्यात)



सी.एच.वी. मालगी प्रसाद
प्रबंधक (विस्तार) (प्रभारी)




पी. रमेश
प्रबंधक (उत्पादन) (प्रभारी)




पी. मीना कुमारी
प्रबंधक (वि व ले) (प्रभारी)



ए.वी. शिवरद्धया
प्रादेशिक प्रबंधक,
मैसूर



बी. मंजूराजु
प्रादेशिक प्रबंधक, (प्रभारी)
पेरियपट्टना



जी. उमामहेश्वर राव
प्रादेशिक प्रबंधक दक्षिणा,
ओंगोल



जी. रन्जन सागर
प्रादेशिक प्रबंधक दहमि,
ओंगोल



के. चंद्रशेखर राव
प्रादेशिक प्रबंधक (प्रभारी)
राजमहेन्द्रवरम

2017-18 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की क्रियाकलाप - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, “तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975” के रूप में ज्ञात संसदीय अधिनियम के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - संसद के द्वारा की गई कामना - तम्बाकू किसानों को व्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारू) प्रणाली का सुनिश्चयन है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यक फसलों में एक हैं। यह वर्ष 2017-18 के दौरान यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और उत्पाद शुल्क के रूप में सार्थक राजस्व (2016-17 के दौरान ₹ 22,737.07 करोड़) तथा विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 5,539.94 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देता है। विश्व में तम्बाकू उत्पादन में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन और तम्बाकू निर्यात में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न आगे जल-वायु स्थितियों के अंतर्गत उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त 114 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधिकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य श्रेणियों के लिए एक ऑन-स्टॉप शॉप प्रदान करता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (एनएलएस), दक्षिणी हल्की मिट्टी (एसएलएस) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (केएलएस) में किया जाता है। गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस) तथा गुणता न्यूट्रल फिल्लर (केएलएस & एसएलएस) और अच्छे फिल्लर (टीबीएस) प्रकारों का उत्पादन हुआ। तम्बाकू बोर्ड ने 2017-18 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि केलिए फसल परिमाण को 2016-17 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 225.00 मिलियन कि.ग्रा. केलिए 235.00 मिलियन कि.ग्रा. निर्धारित किया। इस के लिए लगभग 234.26 मिलियन कि.ग्रा. उत्पादन होने का अनुमान है। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 228.92 लाख की राशि व्यय की है। 2017-18 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में 205.94 मि.कि.ग्रा. का परिमाण, जो 2016-17 में ₹ 124.39 औसत मूल्य में विपणित 288.69 मि.कि.ग्रा. परिमाण की तुलना में ₹ 137.07 औसत मूल्य में विपणित किया गया। 2017-18 के दौरान, भारत से ₹ 5,539.94 करोड़ मूल्य के 2,12,916 मेट्रिक टन तम्बाकू उत्पादों का निर्यात हुआ हैं। निर्यातों का मूल्य डालरों के शब्दों में 859.45 मिलियन यूएस \$, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 4% घट गये।

ग्रेयरों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से सबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डी एन वी - जीएल-बिजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया। और यह प्रमाणपत्र 18 मार्च, 2019 तक मान्य है।

2017-18 के दौरान बैठकें

(दि. 01/04/2017 से दि. 31/03/2018 तक)

क) सांविधिक बैठकें :

दो बोर्ड की बैठकें और तीन समिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

1. दि. 17 अप्रैल, 2017 (सोमवार) को पूर्वाहन 11.00 बजे बोर्ड की 143 वीं बैठक बैंगलूर में संपन्न हुई।
2. दि. 23 अगस्त, 2017 (बुधवार) को पूर्वाहन 11.00 बजे बोर्ड की 144 वीं बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई।



दि. 17/04/2017 को बैंगलूर में संपन्न बोर्ड की 143 वीं बैठक में
श्री टी. वेंकटेश, भा.प्र.से., माननीय कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी),
तम्बाकू बोर्ड और अन्य सदस्यों भाग लिये।

कार्यकारिणी समिति बैठक :

1. कार्यकारिणी समिति की 53 वीं बैठक दि. 06/03/2018 (मंगलवार) को मुख्य कार्यालय, गुण्ठर में संपन्न हुई।

ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 84 वीं बैठक दि. 14/09/2017 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठर में संपन्न हुई।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

2. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 42 वीं बैठक दि. 23/10/2017 को विषयों को परिचालन करने के द्वारा अनुमोदित किया गया।

ख) असांविधिक बैठकें :

1. आन्ध्र प्रदेश में चालू 2017 एफसीनी तम्बाकू नीलामियों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने भा तं सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि 19/05/2017 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में संपन्न हुई।
2. “मॉजूदा ई - नीलाम प्रणाली तथा इसका अधिक सुधार के लिए कोई सुझावों” पर समीक्षा करने भा तं सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 19/12/2017 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में संपन्न हुई।
3. 2017-18 आन्ध्र प्रदेश - एफ सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियों का प्रारंभ की तारीख से संबंधित भा तं सं व्यापारी प्रतिनिधियों तथा ग्रोयर प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्वारंग बैठक दि. 12/02/2018 को रैतु भवन, जी.टी.रोड, गुण्ठूर में संपन्न हुई।




बैंगलूरु में दि. 13/04/2018 (शुक्रवार) को संपन्न 145वीं बोर्ड बैठक में भाषण देते हुए
श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से.,
कार्यपालक निदेशक और अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

**31/03/2018 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या
दर्शनेवाली तालिका**

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	0
2	कार्यपालक निदेशक	1	0
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	1
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	5
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	49
8	सहायक प्रबंधक (लेखा) / सां.अ.	34	27
9	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	83
ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
10	प्रोग्रामर	1	1
11	हिंदी अधिकारी	1	0
12	नि.स., अध्यक्ष	1	1
13	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	72
14	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
15	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
16	लेखाकार / वरिष्ठ अन्वेशक	34	22
17	सहायक / सर्वियकीय सहायक	14	10
18	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
19	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
20	विशेष श्रेणी चालक	1	1
	उप कुल	146	110
ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
21	कम्प्यूटर प्रचालक	27	26
22	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
23	उ. श्रे. लि.	43	34
24	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक / क्षेत्र सहायक	203	146
25	नि. श्रे. लि	52	40
26	हिन्दी टंकक	2	1
27	चालक	31	21
28	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	0
29	बहु कार्य कर्मचारी	140	53
	उप कुल	503	324
	महायोग	754	517

तम्बाकू बोर्ड का संगठन चार्ट




फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले छःवर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिरता उपज पर वातावरण का प्रभाव, साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करता है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2012-13 से 2016-17 तक) -5.48% का और इस वर्ष 2017-18 को मिलाकर -2.42% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) दर्ज किया।

(परिमाण मि कि.ग्र)



* आकलित उत्पादन

II) 2017-18 के लिए एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन नीति :

2017-18 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने 2016-17 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 225 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण की जगह में 235 मिलियन कि.ग्रा. तक एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए फसल परिमाण को बढ़ाया। कर्नाटका राज्य के लिए 99 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया गया। आव्धा प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड ने, पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित 130 मिलियन कि.ग्रा. की जगह 2017-18 फसल मौसम के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण को निर्धारित किया था।

III) 2017-18 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतयाँ :

2017-18 फसल मौसम के दौरान उत्पादन नियंत्रण करने के लिए विस्तृत नीति- ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की कृषि पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफ सी वी तम्बाकू कृषि (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना नीति का उद्देश्य है।

- एफ सी वी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्रोयरों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चितता तथा भविष्य में बाजार समस्याओं को दोहराने से रोकने के लिए खूंटियों (तना) के साथ व्यावहार करना होगा।
- एफ सी वी तम्बाकू कृषि को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति न देना। इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्रोयरों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किया और अप्राधिकृत तम्बाकू की कृषि को अपनाये हैं, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना।

IV) 2017-18 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टितयाँ :

- 2017-18 फसल मौसम के दौरान ग्रोयरों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखा गया था।
- 2016-17 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्रोयरों/बखारों को 2017-18 में, बशर्ते कि ग्रोयर एक योग्य बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न किये जाने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे।
 - नये बखारों के निर्माण करने के द्वारा एफ सी वी तम्बाकू कृषि को अपनाने कोई नये ग्रोयर को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा। नये बखारों को निर्माण करने अनुज्ञाप्ति नहीं दिया जायेगा।
 - ग्रोयरों, जिन्होंने 2016-17 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की अप्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा।
 - ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2016-17 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की कृषि और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटनों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, बशर्ते कि निर्धारित जुर्माना भुगतान करने के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा।

- पंजीकृत ग्रोयर, जो अपने रखयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बखार को डिसफन्क्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे।
- ग्रोयर आवेदकों, जो अनुज्ञापित क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञापित के लिए माँग/3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए ब्रेक-इन रजिस्ट्रेशन/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये हैं, वे 2017-18 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे।
- वाणिज्य मंत्रालय पत्र दि. 17/01/2018, सं. 09/11/2018 - ई.पी. (अग्री - III) के अनुसार एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञापित बखारों की शिफिटिंग केलिए नया बखार का निर्माण अप्राधिकृत बखारों का नियमितीकरण के द्वारा बिक्री स्थानांतरण करने के लिए दि. 30/09/2018 तक अनुमति दी।

V) 2017-18 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा:

2017-18 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में कृषि के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्राधिकृत प्रांत और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
उत्तरी हल्की मिट्टी (उ ह मि)	1.50	1.40	3,300	3,000
दक्षिणी हल्की मिट्टी (द ह मि)	2.60	2.40	3,500	3,400
दक्षिणी काली मिट्टी (द का मि)	1.60	1.60	3,460	3,370
उत्तरी काली मिट्टी (उ का मि)	1.20	1.20	2,600	2,600

* उ ह मि में पू ह मि भी शामिल है।

कर्नाटका

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
सिमप्लेक्स बखार	1.30	1.20	1,725	1,650
डुप्लेक्स बखार	2.60	2.40	3,450	3,300

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2017-18 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू का आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने केलिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया ।

- एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य/अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयरों को अपील करने के लिए सार्वजानिक प्रचार साधन जैसे., सार्वजानिक स्थानों में दीवारों में लेखन, पोस्टर, करपत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, सही संदेशों को प्रसार करने इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग, छोटे समूह चर्चा, औपचारिक बैठकें आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किया था।
- 2017-18 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा गाँवों में सामूहिक बैठकों के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में लगभग 309 ग्रोयर बैठकें और कर्नाटका में 361 ग्रोयर बैठकें बोर्ड द्वारा को आयोजित किये गये ।



VII) 2017-18 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण :

2017-18 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए कुल मिलाकर 87,995 ग्रोयरों ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे । आन्ध्र प्रदेश में, 39,654 बखारों को कवर करते हुए 45,572 ग्रोयरों तम्बाकू कृषि के लिए पंजीकृत किये थे । एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 73,193 हे. क्षेत्र के लिए वार्त्तव में 70,317 हे. के क्षेत्र में रोपण हुआ था । कर्नाटका में, 55,997 बखारों को कवर करते हुए 42,423 ग्रोयरों तम्बाकू कृषि के लिए पंजीकृत किये गये । एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत 72,796 हे. क्षेत्र प्राधिकृत किया गया और 81,083 हे. मे. रोपण हुआ था।

2017-18 फसल मौसम के लिए कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत पंजीकृत ग्रोयरों, बखार और रोपित क्षेत्र का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण पृष्ठ सं. 27 से 29 में रखे गये थे।

VIII) 2017-18 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

2017-18 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 741.70 हेक्टार था। नर्सरी के अंतर्गत क्षेत्र, जो पिछले वर्ष की (807.85 हे.) की तुलना में 8% घट गया। अधिकाधिक ग्रोयर पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकरूपी वृद्धि को प्राप्त करने ट्रैनर्सरी को अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही तथा पेरट



तथा बीमारियों से मुक्त रहा है। इस मौसम के दौरान बीजों की अपूर्ति स्थिति अच्छी रही।

कंचन एक बोया हुआ प्रधान किरम है, जो बोया हुआ नर्सरी क्षेत्र याने., 548.87 हे. से लगभग 74% का हिस्सा अपना लिया। सीएच - 3 और एफसीएच -222 संकर ने बाकी 26% क्षेत्र को हासिल किया।

प्रधान क्षेत्र

मई, 2017 महीने के दौरान समय पर प्राप्त वर्षा सभी क्षेत्रों में यथासमय प्लानटेशन को अपनाने में सहायता किया और लगभग मई महीने में ही 100% प्लानटेशन समाप्त हुए। कर्नाटका में, 2017-18 के दौरान रोपित एफसीवी तम्बाकू क्षेत्र याने., पिछले वर्ष में रोपित क्षेत्र 76,089 हे. केलिए 6.56% क्षेत्र अधिक होने के साथ कुल 81,083 हे. में रोपित किया गया। 31 मई से पहले ही पूरे क्षेत्र रोपित हुआ। रोपित पूरे क्षेत्र को प्रारंभिक प्लानटेशन के रूप में श्रेणीकृत किया गया। कुल रोपित क्षेत्र में 65% कंचन किरम (52,713 हे.) के अंतर्गत रहा था, बाकी 35% का हिस्सा सीएच - 3 (28,198 हे.) और एफसीएच - 222 (172 हे.) मिश्र किरमों के अंतर्गत रहा था।





प्लानटेशन संवर्ग	2017-18		2016-17	
प्रारंभिक प्लानटेशन (31 मई से पहले)	81,083 हे.	100%	51,997 हे.	68%
मध्य प्लानटेशन (जून 1 से 15 जून तक)	0.00	0.00	23,694 हे.	31%
देरी प्लानटेशन (जून 16 से)	0.00	0.00	398 हे.	1%
कुल	81,083 हे.	100%	76,089 हे.	100%

कर्नाटका में फसल वृद्धि :

प्रारंभ में प्रधान क्षेत्र में फसल स्थिति सुव्यवस्थित रहा था। जुलाई महीने में, प्रधान वृद्धि अवधि के दौरान वर्षा की कमी के कारण फसल सूरवा अवधि का अनुभव किया तथा विशेषकर रामनाथपुरा और मैसूर क्षेत्रों के इलाकों में नमी प्रभाव याने., नीचे पत्तों में पीलापन का लक्षण दिखायी दी। किसानों, जिन्हें खेती सुविधाएँ हैं, ने फसल के लिए फसल रक्षा खेती को अपनाये थे। इस क्षेत्र में अगस्त, 2017 के पहली पक्ष से वर्षा प्रारंभ हुए और अगस्त की दूसरी पक्ष में भी उपयुक्त वर्षा प्राप्त हुए। इस वर्षा के कारण फसल रिकवर हुई तथा वृद्धि अच्छी रही लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में वर्षाओं की कमी के कारण क्यूरिंग में निम्न श्रेणियों तथा हरापन की प्रतिशतता बढ़ गयी।



पेस्ट तथा बीमारियाँ :

इस मौसम के दौरान प्रधान क्षेत्र में कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं की गई। सभी क्षेत्रों में तम्बाकू मोसाईक वाईरस आपतन का नोटीस पाया गया और इसे अधिक फैलाने से रोकने के लिए खास और नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए ग्रोयरों को सूचित किये गये। ओरेबान्डे का आपतन कुछ क्षेत्रों में पाया गया तथा इस परजीवी को ग्रोयरों को हटा देने तथा ध्वस्त करने के लिए सूचित किये गये। कुछ क्षेत्रों में स्पोडेप्टेरा, केटरपिल्लर का आपतन पाया गया।

फसल & क्यूरिंग :

प्रति बखार के लिए औसत 6-7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। क्यूरड पत्ता नींबू से नींबू नारंगी रंग का रही। फसल की गुणता औसत से उत्तम किरम का रहा था। क्यूरिंगों में निम्न श्रेणीयों तथा हरा की प्रतिशतता पिछले वर्ष की तुलना में अधिकाधिक रहे थे।





पैदावार :

इस वर्ष पत्ता की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी रही तथा 1200-1400 कि.ग्रा/हे के बीच रहा था। 2016-17 में 30:44:26 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 98.72 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम, और निम्न श्रेणियों के शब्दों में क्रमशः 29:43:28 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 106.12 मिलियन कि.ग्रा. का आकलित फसल विपणन हुई।

IX. 2017-18 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :





आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 के दौरान, जो पिछले वर्ष में बोया गया 389.85 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 370.11 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपकाया गया। इस मौसम के दौरान कोई प्रधान पेरस्ट तथा बीमारियों का आपतन की पिरोट नहीं हुई। सीडिलिंगों का मूल्य, जो गुणवत्ता और सीडिलिंग की आयु के आधार द का मि में लगभग ₹1,500/- से ₹2,000/- प्रति गठरी और द ह मि में ₹1,000/- से ₹2,000/- प्रति गठरी के लिए मूल्य रहे थे। उ ह मि क्षेत्र में प्रति गठरी का मूल्य लगभग ₹3,000/- से ₹3,500/- तक रहे थे।

किरम :

दक्षिण हल्की मिट्टियों और परंपरागत मिट्टी क्षेत्रों में बोया जाने वाले “सिरी” एक प्रधान किरम है, जो कुल क्षेत्र में लगभग 65% का हिसाब रहा था। अन्य बोया जाने वाले किरमों में जी - 11 (हेमा), वीटी - 1158 और एन - 98, आदि था। उ ह मि क्षेत्र में एलवी - 7 किरम (मिश्र) कुल नर्सरी क्षेत्र में 82% का हिसाब रहा था। उ ह मि क्षेत्र में बोया जाने वाले अन्य किरमों में के - 326 और एलवी - 6 प्रधान था।

प्रधान क्षेत्र :

आन्ध्र प्रदेश 2016-17 फसल मौसम के दौरान रोपित 61,281 हें के विपरीत कुल 70,316.60 हे. क्षेत्र में एफ सी वी तम्बाकू रोपित किया गया था। क्षेत्र में वृद्धि लगभग 15% है। 2017-18 के दौरान प्रारंभिक रोपित फसल कम है (5,602.46 हे.) जो कुल रोपित क्षेत्र में 8% हिसाब रहा था। 61% का फसल (42,798.91 हे.) 15 अक्तूबर और 15 नवंबर (मध्य प्लानटेशन) के बीच रोपित किया था और 31% फसल देरी रोपित (21,915.23 हे.) याने., नवंबर की दूसरे पक्ष में रोपित किया गया।

दक्षिण हल्की मिट्टी और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में पैदा किये जाने वाले ‘सिरी’ एक प्रधान (44,610.75 हे.), जो इन क्षेत्रों के अन्तर्गत रोपित कुल क्षेत्र में 94% का हिसाब रहा था। बाकी क्षेत्र जी - 11 (हेमा), वीटी - 1158 और एन - 98 किरमों के अंतर्गत रहा था। उत्तरी हल्की क्षेत्रों में एलवी - 7 किरम (मिश्र) (17,792.55 हे.) प्रधान बोया जाने वाले किरम है, जो 82% क्षेत्र का हिसाब रहा था। सीएच - 3 (2,960.50 हे.) कंचन - 326 (767 हे.) और एलवी - 6 (115 हे.) अन्य पैदा किये जाने किरम थे। उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में ‘सिरी’ एक प्रधान (1,249.60 हे.) किरम था और एलवी - 7 (89.40 हे) किरम कुछ क्षेत्रों में पैदा किया गया था।

प्लानटेशन संवर्ग	2016-17		2017-18	
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	1,468 हे.	2%	5,602.46	8%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	21,431 हे.	35%	42,798.91	61%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	38,382 हे.	63%	21,915.23	31%
कुल :	61,281 हे.	100%	70,316.60	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल वृद्धि

उत्तरी हल्की मिट्टियाँ (उ ह मि) फसल :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत कुल प्लानटेशन 3% अधिक, जो 2016-17 में रोपित 21,103.30 हेक्टार की तुलना में इस वर्ष 21,635.05 हेक्टार अधिक रहा था। प्लानटेशन, जो पिछले वर्ष की तुलना में समय पर वर्षा की प्राप्ती के कारण सही समय में अपनाये गये थे। अधिकांश फसल 15 नवंबर, 2017 से पहले रोपित किये गये थे प्रारंभिक और मध्य फसल में अनुकूलतम पत्ता विस्तार के साथ उत्तम वृद्धि दिखायी। देरी फसल की वृद्धि संतोषजनक रहा और औसत उपज दर्ज किये गये थे। यह फसल अपेक्षाकृत पेरेट तथा बीमारियों से मुक्त रहा। पूर्ण रूप से उहमि फसल का पैदावार, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक चमकीला पत्ता के साथ उत्तम रही और “अच्छी” श्रेणी दर्ज की।



दक्षिण हल्की मिट्टियाँ (द ह मि) फसल :

दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत कुल प्लानटेशन, जो 2016-17 में रोपित 21,500.30 हे. की तुलना में इस वर्ष 37% वृद्धि के साथ 29,408.85 हेक्टारों में रोपित किया गया था। अधिकाधिक फसल मध्यम रोपित का रहा था। प्रारंभ में अनुकूल वातावरण के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पोदिली क्षेत्रों में प्रतिरोपण समय पर प्रारंभ हुए। दिसंबर और जनवरी महीने में सूखा अवधि महसूस



हुआ और किसान, जिनके पास सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सिंचाई को अपनाये थे। समय पर, रोपण के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ओरबान्खे का आपतन कम रह गया था। प्रारंभिक और मध्य फसल की वृद्धि अनुकूलतम पत्ता विस्तार के साथ उत्तम वृद्धि दिखायी दी। देरी फसल, जो प्रधान वृद्धि अवधि के दौरान नमी प्रभाव परिस्थितियों को अनुभव होने का कारण औसत रहा था। इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से फसल पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में ‘अच्छी’ रही थी।

पारंपरिक काली मिट्टीयाँ (पा का मि) फसल :

दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों के अंतर्गत कुल रोपित क्षेत्र, जो 2016-17 में रोपित 17,207.40 है की तुलना में 4% वृद्धि के साथ 17,933.70 हे. रहा था। अधिकाधिक



फसल 15 नवंबर से पहले रोपित की गयी। पहले और मध्यम रोपित फसल उत्तम वृद्धि दिखायी दी। देरी फसल दिसंबर और जनवरी के दौरान सूखा अवधि का अनुभव किये थे तथा आधिकांश किसान सिंचाई में लग गये थे। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष के दौरान फसल उपज और गुणवत्ता अच्छी रही। क्यूरिंगों में 43% चमकीला श्रेणियों की सूचना मिली। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में फसल को ‘अच्छा’ श्रेणी के रूप में दर्ज किया गया है।

2017-18 के दौरान उत्तरी काली मिट्टी (उकामि) क्षेत्र में कुल 1,339 हे. क्षेत्र में प्लानटेशन, जो 2016-17 (1,469.60 हे) दौरान रोपित क्षेत्र की तुलना में 9% कम है। उहमि क्षेत्र में कोई प्रधान वृद्धि समस्याएँ नही रही और अच्छी पैदावार दर्ज की।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

प्रधान क्षेत्र में, गंभीर पेस्ट तथा बीमारी का आपतन की सूचना नहीं मिली। टी एम वी का आपतन, जो कुछ क्षेत्रों में नोटीस किया गया था, लेकिन संक्रमित पौथों का प्रतिशत कम रही थी। दिसंबर और जनवरी के दौरान समय पर प्लानटेशन और परजीवी केलिए प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों की व्यापकता के



कारण इस वर्ष दक्षिण हल्की मिट्टी और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में ‘ओरबान्खे’ पौधा परजीवी का आपतन कम रहा था।



पैदावार :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्र में औसत 8-10 क्यूरिंगों को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी & दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में केवल औसत 5-8 क्यूरिंगों को अपनाये गये। फसल की पैदावार अधिक चमकीला गुणवत्ता वाले पत्ता श्रेणी के साथ अच्छी रही तथा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 'अच्छा' किरण दर्ज किये गये।

उहमि में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के मामलों में श्रेणी आऊट



टर्न क्रमशः 42:35:23 रहा था। द का मि क्षेत्र में क्रमशः 43:28:29 (च म नि) के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा था। उ का मि क्षेत्र में क्रमशः 50:25:25 (च म नि) के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा था। उहमि क्षेत्र में श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 53:35:12 (च म नि) के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा था।



उपज :

आन्ध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन, जो 136 मिलियन कि.ग्रा. के प्रधिकृत परिमाण के लिए 127.36 मि.कि.ग्रा. अनुमानित रहा था। प्रकाशम और एस पी एस आर जिलों (दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश) में तम्बाकू उत्पादन, जो 86 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण के लिए लगभग 77.40 मिलियन कि.ग्रा. रहा। उ ह मि क्षेत्र में उत्पादन, जो 46 मिलियन कि.ग्रा. प्राधिकृत फसल के लिए, 47.36 मिलियन कि.ग्रा. अनुमानित रहा। उ का मि में लगभग 2.60 मिलियन कि.ग्रा. अनुमानित उत्पादन रही। दक्षिण हल्की मिट्टीयों (द ह मि) में 1,347 कि.ग्रा./ हे. और दक्षिण काली मिट्टीयों में 2,108 कि.ग्रा./हे. तक आकलित औसत उपज रहा था। उ ह मि क्षेत्र में औसतम उपज लगभग 2,108 कि.ग्रा./हे. रहा था।

X. 2017-18 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 फसल मौसम और कर्नाटका में 2017-18 फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों में से 7.5% के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। प्रधिकृत 10% कोटा सीमा से अधिक पंजीकृत ग्रोयरों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अप्रधिकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों में से 15% के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। यह कोटाओं को पुनः समायोजन और पंजीकृत ग्रोयरों के नाम पर अतिरिक्त तम्बाकू के रूप में, जो अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री से दूर करने बोर्ड को सहायता दी।

XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रोत्साहन :

भारत सरकार ने प्रधान परिणाम क्षेत्र (के आर ए) के हिस्से के रूप में ‘एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के बीच एफ सी वी तम्बाकू के स्थान में अन्य आर्थिक रूप में व्यवहार्य फसलों की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए एक निश्चित कार्यवाही योजना की तैयारी तथा ‘बखार बायआउट योजना’ के लिए प्रस्ताव तैयारी करने’ तम्बाकू बोर्ड को निदेश दिया।

तम्बाकू बोर्ड वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किये थे। वे निम्नानुसार हैं :

- पेरियपट्टना क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्रोयरों को कवर करते हुए तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों की सिंचाई पर राज्य विभाग जैसे., कृषि, बागबानी, रेशम-उत्पादन और पशुपालन विज्ञान आदि., के सहयोग से दि. 13/10/2017 को पेरियपट्टना में प्रादेशिक प्रबंधक, पेरियपट्टना द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था।
- प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर ने, के तं अ सं विशेषज्ञों के सहयोग से उत्पादन नियंत्रण और आर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक फसलों को शिफिटिंग पर लैटफार्म स्तर पर बैठक आयोजित किया था तथा कर पत्रों को भी वितरित किये गये थे।
- प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्रवरम ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) संयुक्त निदेशक-कृषि, पश्चिम गोदावरी जिला, आर ए आर एस मार्टल के विशेषज्ञ, रेशम - उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ और कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों के सहयोग से उह मि क्षेत्र के सभी ग्रोयरों को कवर करते हुए तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर दि. 24/10/2017 को देवरपल्ली में एक जागरूकता बैठक और दि. 16/11/2017 को गोपालपुरम में दूसरा बैठक आयोजन किया गया था।
- प्रादेशिक प्रबंधक, दकामि क्षेत्र और द ह मि क्षेत्र ने आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के कृषि अधिकारियों, ए आ एस, डी ए ए टी टी केन्द्र, और के तं अ सं के विशेषज्ञों के सहयोग से आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसलों को शिफ्ट करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने द का मि क्षेत्र और द ह मि क्षेत्रों के सभी ग्रोयरों को कवर करते हुए ओंगोल, टंगुदूर, कोडेपी, कन्टुकुरु और विंजमूर गाँवों में छे: जागरूकता बैठकें आयोजन किये थे।
- तम्बाकू बोर्ड ने, ग्रोयरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दक्षिण हल्की मिट्टी-दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में एफ सी वी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर करपत्रों और पुस्तिकाएँ मुद्रित और वितरित किये थे।
- तम्बाकू बोर्ड ने “बखार बायआउट योजना” पर प्रस्ताव दिसंबर, 2017 महीने में मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

तम्बाकू बोर्ड : : गुण्डू
(आरत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग)
आनंद प्रदेश में 2017-18 (31/03/2018 तक) फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म
वार रजिस्ट्रेशन विवरण

विवरण	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्र.)			ग्रेयरों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
देवरपल्ली	7.50	0.00	7.50	1961	0	1961	2270.00	0.00	2270.00	3405.00	0.00	3405.00	3402.00	0.00	3402.00
जंगारेट्टी गुडेम-।	10.40	0.00	10.40	2642	0	2642	3142.50	0.00	3142.50	4713.75	0.00	4713.75	4830.80	0.00	4830.80
जंगारेट्टी गुडेम-॥	10.57	0.00	10.57	3125	0	3125	3200.17	0.00	3200.17	4800.39	0.00	4800.39	5190.30	0.00	5190.30
कोट्यनग्नेम	9.71	0.00	9.71	2584	0	2584	2921.60	0.00	2921.60	4382.66	0.00	4382.66	4560.95	0.00	4560.95
गोपालपुरम	7.82	0.00	7.82	1947	0	1947	2354.00	0.00	2354.00	3531.00	0.00	3531.00	3651.00	0.00	3651.00
वेलमपल्ली-।&॥	3.30	5.34	8.64	1213	1672	2885	914.26	1528.91	2443.17	2377.07	2446.26	4823.33	1908.60	2545.40	4454.00
ओंगोल-।	1.33	5.80	7.13	522	1702	2224	376.88	1663.41	2040.29	783.94	2663.86	3447.80	1579.70	3323.30	4903.00
ओंगोल-॥	0.00	8.43	8.43	0	2273	2273	0.00	2329.05	2329.05	0.00	3726.47	3726.47	0.00	3231.80	3231.80
ठंगुदू-।	0.00	6.21	6.21	0	2001	2001	0.00	1781.13	1781.13	0.00	2849.81	2849.81	0.00	2394.00	2394.00
ठंगुदू-॥	0.00	5.42	5.42	0	1741	1741	0.00	1642.41	1642.41	0.00	2627.86	2627.86	0.00	2160.00	2160.00
कोडेपी	3.99	3.90	7.89	1959	1584	3543	1119.20	1113.79	2232.99	2870.31	1782.09	4652.40	3081.00	1741.40	4822.40
पोदिली - ।&॥	10.32	0.77	11.08	5223	290	5513	2801.53	248.34	3049.87	7283.97	402.72	7686.69	4818.05	331.40	5149.45
कङ्कुर - ।	5.92	2.05	7.97	2461	685	3146	1682.10	592.50	2274.60	3714.03	948.00	4662.03	4726.00	1194.00	5920.00



विवरण	नियांत्रित फसल परिमाण (मि.कि.ग्र.)			ग्रेचरों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत शेत्र (हेक्टेर.)			रोपित शेत्र (हेक्टेर.)		
	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल
कंडुकूर-॥	5.29	1.87	7.17	2121	820	2941	1486.72	537.80	2024.52	3666.21	860.49	4526.70	3563.60	918.40	4482.00
कनिगिरी	4.55	0.00	4.55	1630	0	1630	1288.80	0.00	1288.80	3350.88	0.00	3350.88	3370.00	0.00	3370.00
कलिगिरी	4.94	0.21	5.14	1687	57	1744	1373.12	59.75	1432.87	3570.13	95.60	3665.73	2341.90	94.00	2435.90
झी सी पल्ली	6.36	0.00	6.36	2288	0	2288	1764.03	0.00	1764.03	4586.49	0.00	4586.49	4020.00	0.00	4020.00
तोरेंडू	0.00	4.00	4.00	0	1384	1384	0.00	1461.84	1461.84	0.00	1754.24	1754.24	0.00	1339.00	1339.00
महा योग	92.00	44.00	136.00	31363	14209	45572	26694.91	12958.93	39653.84	53035.83	20157.40	73193.23	51043.90	19272.70	70316.60

सार

शेत्र	नियांत्रित फसल परिमाण मिलियन (किंग्र.)	पंजीकृत ग्रेचर	पंजीयुक्त बखार (हेक्टेर.)	पंजीकृत शेत्र (हेक्टेर.)	रोपित शेत्र (हेक्टेर.)
उ ह सि	46.00	12259	13888.27	20832.80	21635.05
द ह सि	46.00	19104	12806.64	32203.03	29408.85
द का सि	40.00	12825	11497.09	18403.16	17933.70
उ का सि	4.00	1384	1461.84	1754.24	1339.00
कुल	136.00	45572	39653.84	73193.23	70316.60

**कर्नाटका में 2017-18 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म
वार रजिस्ट्रेशन तथा रोपण विवरण दर्शनेवाली तालिका**

क्र. सं	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	निर्धारित फसल परिमाण (मिलियन कि.ग्रा)	ग्रोयर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)
1	एच. डी. कोटे-1	4.369	1812	2419.00	3144.70	4010.00
2	एच. डी. कोटे-65	4.798	1916	2559.00	3326.70	4050.00
3	हुन्सूर-2	6.947	3063	3991.00	5188.30	6222.00
4	हुन्सूर-3	6.843	3150	3919.00	5094.70	5760.00
5	हुन्सूर-64	5.992	2631	3429.00	4457.70	5470.00
6	कंपलापुरा-61	7.343	3235	4186.00	5441.80	6136.00
7	चिलकुंदा-62	10.463	4458	5936.00	7716.80	8650.00
8	पेरियपट्टना-4	12.042	4640	6720.00	8736.00	8640.00
9	पेरियपट्टना-5	10.898	4666	6202.00	8062.60	8649.00
10	पेरियपट्टना-6	10.195	4372	5816.00	7560.80	8067.00
11	रामनाथपुरा-7	10.537	4743	5962.00	7750.60	8127.00
12	रामनाथपुरा-63	8.573	3737	4858.00	6315.40	7302.00
	महा योग	99.000	42423	55997.00	72796.10	81083.00

विस्तार एवं परामर्श सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नये और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (के तं अ सं), राजमहेन्द्री, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एन आई पी एच एम) और तम्बाकू कंपेनियों के अनुसंधान विकास विंगों के सहयोग से विस्तृत योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है।

बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलाप निम्नानुसार

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :
- विस्तार और विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन और
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण



I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

एफ सी वी तम्बाकू किसानों को उत्तम कृषि प्रयासों (जी ए पी) के अनुसार फसल इनपुटों की मानक सेट का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को विवेचित इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है।

1. एफ सी वी तम्बाकू बीज :

2017-18 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों को के तं अ सं, राजमहेन्द्री और आई टी सी अनुसंधान डिविजन, राजमहेन्द्री के द्वारा 2,354 कि.ग्रा. अनुमोदित किरमों की बीजों की आपूर्ति की।

(परिमाण (कि. ग्रा में)

राज्य	किरम की नाम					
	कंचन	सीएच 3	सीएच 2	सिरी	एफ सी एच 222	कुल
कर्नाटका	1219	485	0	0	19	1723
आन्ध्र प्रदेश	4	530	10	87	0	631
कुल	1223	1015	10	87	19	2354

2. उर्वरक :

कर्नाटका :

2017-18 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने के तं अ सं द्वारा सिफारिश उर्वरकों को निर्माण कंपनियों से सीधा प्रतिस्पर्धात्मक दरों में प्राप्त किया तथा 40,309 बखारों को कवर करते हुए कर्नाटका के 31,274 पंजीकृत ग्रोयरों को आपूर्ति की। लगभग 74% कुल पंजीकृत ग्रोयरों को निम्नलिखित उर्वरक आपूर्ति किये गये थे। तम्बाकू बोर्ड ने, उर्वरकों को खरीदने के लिए कार्पोरेशन बैंक और केनसा बैंक से ₹ 71.47 करोड़ की इनपुट ऋणों की मंजूरी की सुविधा प्रदान की। उर्वरकों के वितरण करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड., की सेवाओं का उपयोग किये गये थे।

उर्वरक	आपूर्तिकर्ता	परिमाण (मे.ट)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	जीएसएफसी	2997.30	12530.00	375.56
	फैक्ट	9045.00	12406.80	1122.20
	उप कुल	12042.30		1497.76
सल्फेट ऑफ पोटाष	आपीएल	12008.90	43500.00	5223.87
	ट्रान्सवरल्ड	33.30	42500.00	14.15
	उप कुल	12042.20		5238.02
डै अम्मोनियम फारफेट	एम सी एफ	2051.60	20550.00	421.60
	सी आई एल	1962.50	20550.00	403.29
	उप कुल	4014.10		824.89
	महा योग	28098.60		7560.67



आन्ध्र प्रदेश :

2017-18 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बिना बोर्ड की भागीदारी से तम्बाकू बोर्ड ने उर्वरकों की प्राप्ति तथा वितरण करने के लिए एक नया और वैकल्पिक प्रणाली को विकसित किया था। इस नयी प्रणाली में पंजीकृत ग्रोयरों को अपने - आप स्वयं उर्वरकों को खरीदने तथा वितरण करने की शक्ति दी गयी। यह आन्ध्र प्रदेश के उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में जिला सहकार विपणन सोसाईटी, एलुरु, जो एक राज्य सहकारी निकाय है, की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा कार्यान्वयन किया गया था। तम्बाकू बोर्ड ने आपूर्ति की सभी पहलूओं में याने., माँगपत्र और अग्रिमों का कलेक्शन (संग्रह), इनपुट ऋण की व्यवस्था, उर्वरकों की भंडारण के लिए बोर्ड गोदामों का प्रावधान और ऋण वसूली आदि, के लिए परिपूर्ण समर्थन प्रदान किया। तम्बाकू बोर्ड ने धूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उर्वरकों को खरीद से संबंधित ₹26.66 करोड़ ऋण की मंजूरी प्रदान की। उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र (लगभग 73%) में 10,200 बखारों को कवर करते हुए 8962 ग्रोयरों को निम्नलिखित उर्वरकों की आपूर्ति किये गये।

उर्वरक	आपूर्तिकर्ता	परिमाण (मे.ट)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	एफ ए सी टी	3563.20	12750.00	454.31
सिंगिल सूपर फास्फेट	सी आई एल	2500.00	6450.00	161.25
	ऐनार	1054.95	6450.00	68.04
उप कुल		3554.95		229.29
सल्फेट ऑफ पोटाश	आपीएल	4083.80	43500.00	1776.45
	फ्लोरीस	491.55	36500.00	179.41
उप कुल		4575.35		1955.85
20:20:0:13	इफको	1538.65	15500.00	238.49
महायोग		13232.15		2877.94



3. सक्करसाईडों की आपूर्ति :

तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को तम्बाकू की उपज और गुणवत्ता को वृद्धि करने, जो मान्युअल टॉपिंग के बाद सक्करों को नियंत्रण करने सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति की। कर्नाटका में मेसर्स आईटीसी लिमिटेड, और मेसर्स हाईग्लोफोरिस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 622 मूल्य में इनपुट ऋण व्यवस्थित करते के द्वारा सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति किये गये। आन्ध्र प्रदेश में, उत्तरी हल्की मिट्टी के किसानों की समिति ने सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्तिकर्ता से मोल-तोल किये थे और यह निर्णय लिया गया कि मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स हाईग्लोफोरिस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2.5 लीटर डिब्बा ₹ 675 के हिमाब से ऋण के आधार पर



रसायन की आपूर्ति करने तम्बाकू बोर्ड ने ग्रोयरों की बिक्री प्रोसीडों से सक्कर नियंत्रण रसायन की मूल्य को वसूली करने तथा ग्रोयरों से प्राधिकरण-पत्र की प्राप्ति के आधार पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए सहमत हो गये। दो राज्यों में सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति					
	ग्रोयरों की संख्या	बचारों की संख्या	प्रति 2.5 लीटर डिब्बा का मूल्य (₹)	आपूर्तित परिमाण (लीटर)	मूल्य ₹ लाखों में	कवर किये गए प्रांत हेक्टारों में
कर्नाटका	15,400	15,933	622	1,00,335.00	249.63	20,713
आन्ध्र प्रदेश	7,201	8,220	675	80,039.50	216.10	12,330
कुल	22,601	24,153		1,80,374.50	465.73	33,043

II. विस्तार एवं विकासात्मक योजनाएँ :

2017-18 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, खेती की लागत को कम करने, तम्बाकू की उपज और गुणवत्ता में सुधार करने, क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण और पूर्व सस्य उत्पाद प्रबंध आदि., के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित किया।

1. मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंध - हरित खाद बीजों की आपूर्ति :

किसान अभ्यासों को बनाये रखने तथा तम्बाकू की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जैव पदार्थ के साथ मिट्टी को समृद्ध करने के में एक हिस्सा रूप में बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य सरकारों के समन्वय से हरी खाद बीज - सनहेम्प, डैयन्चा, पिलीपेसरा आदि, को हरीखाद स्वरूपाने आपूर्ति करने द्वारा ग्रोयरों को प्रोत्याहन किया। 2017-18 फसल मौसम के दौरान हरी खाद फसलों के अंतर्गत 17,222 हेक्टार क्षेत्र कवर किया गया था।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	हरित खादि फसल के अंतर्गत क्षेत्र (हे.)
कर्नाटका	कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ	9250.30
आन्ध्र प्रदेश	उत्तरी हल्की मिट्टियाँ	2271.00
	दक्षिण हल्की मिट्टियाँ	3834.20
	दक्षिण काली मिट्टियाँ	1866.50
	कुल	17222.00



2. स्वास्थ्य पौध उत्पादन करने के लिए प्रगतिशील नसरी प्रबंध तकनीकियों का प्रोत्साहन :

क. ट्रे तकनीकी को प्रोत्साहन करने ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति के लिए योजना :

स्वास्थ्य पौधों के उत्पादन और स्थायी फसल में समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रे तकनीकी को अपनाने सविस्तरी दरों में ट्रे और कोकोपिट मीडिया की आपूर्ति करने के द्वारा प्रोत्साहित कर रही है।



तकनीकी कर्मचारियों के प्रयारों के कारण, पिछले कुछ वर्षों से कर्नाटका के किसान बीज उत्पादन करने के लिए ट्रै नसरियों को अपना रहे हैं। ट्रै में उत्पादित पौधे स्वस्थ्य और वृद्धि में प्रबल होते हैं। वे नमी तनाव और अनियमित जलवायु विथियों को अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। प्रधान क्षेत्र में ट्रै में रोपित पौधे न्यूनतम अन्तरालों के साथ समान खड़ी फसल को प्रदान करते हैं। पौधों के उत्पादन में ट्रै तकनीकी को अपनाने से श्रम लागत की कमी, पानी और रसायनिक उपयोग की बचत जैसे., लाभ भी मिलते हैं।

2017-18 फसल मौसम के दौरान, 3689 कर्नाटका ग्रोयरों को 9.48 लाख कि.ग्रा. कोकोपिट के साथ 7.90 लाख ट्रै की आपूर्ति तम्बाकू बोर्ड ने की। तम्बाकू बोर्ड ने 2017-18 के दौरान ट्रै और कोकोपिटों की आपूर्ति करने में वित्तीय सहायता से संबंधित ₹ 42.77 लाख राशि खर्च की।

ख) पौधा उत्पादन में अल्ट्रा वयलेट (यूबी) शीट छत के साथ हरित गृह :

कर्नाटका के अधिकाधिक छोटे / उपांतिक किसान स्वास्थ्य पौथा उत्पादन करने के लिए ट्रै तकनीकी को अपना रहे हैं। कर्नाटका के ग्रोयरों को प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियाँ जैसे., हवा, शीत, अत्यधिक बारिश, अधिक तापमान, कीड़े और बीमारी आपतन, आदि., से ट्रै में उगाये जाने वाले पौधों को रक्षा करने के लिए छत आच्छेदन केलिए अल्ट्रा वयलेट शीट उपयोग करते हुए कम लागत में छोटा कच्चा अस्थायी हरित गृह निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य पौधा उत्पादन करने के लिए अनुकूल वातावरण को बनाने में सहयोग देती है। हरित गृह को यूवी शीट के साथ निर्माण करने के लिए कुल लागत प्रति यूनिट के लिए लगभग ₹ 10,000/- है। कर्नाटका में इस तकनीकी को अपनाने छोटे उपांतिक ग्रोयरों को प्रोत्साहन करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने प्रति हरित गृह के लिए ₹ 1,500/- तक अल्ट्रा वयलेट शीट की लागत में सव्विसडी दे रही है। 2017-18 के दौरान कर्नाटका में 116 हरित गृहों को कवर करते हुए 116 पंजीकृत ग्रोयरों को यू वी शीट से संबंधित ₹ 1.74 लाख रुपये की सव्विसडी प्रदान की गई।

ग) पौधा उत्पादन में स्थायी बहु हरित गृह

कर्नाटका के कुछ किसान गृह पौधा ट्रै के छत केलिए अल्ट्रा वयलेट शीटों को उपयोग करके अस्थायी हरित गृह निर्माण करने के बजाय स्थायी पॉली गृह निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। स्थायी हरित गृह से लंबी स्थायित्व, हवाओं का सामना करने में मजबूती और अनुकूल अनिश्चित वातावरण परिस्थितियों से तरुण पौधों को बचाने आदि., फायदें प्राप्त होते हैं। स्थायी बहु हरित गृहों को -15 फीट लम्बाई X 12 फीट चौड़ाई X 11.5 फीट ऊँचाई आदि परिमाण के साथ स्थापना करने के लिए अनुमानित लागत हर यूनिट के लिए ₹ 23,500/- है। इस संरचना में 10-12 अंकुरित लकड़ी ट्रै की व्यवस्था करने के लिए 180 स्केरफीट बेस क्षेत्र सम्मिलित (एनकंपसिस) किया जाता है। स्थायी हरित गृह से स्ट्रक्चर के अंदर वातावरण परिस्थितियों पर अधिक नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि में समानता बढ़ जाती है। तम्बाकू बोर्ड ग्रोयरों को प्रति शेड ग्रोयर को ₹ 5,000/- राशि सव्विसडी बढ़ाने के द्वारा स्थायी बहु हरित गृह को स्थापना करते के लिए

प्रोत्साहित कर रहा है। कर्नाटका में 2017-18 फसल मौसम के दौरान आश्रित पौधा ट्रे के 30 स्थायी बहु हरित गृहों को निर्माण करने के लिए 30 पंजीकृत ग्रोयरों को ₹ 1.50 लाख रशि की सब्सिडी प्रदान की गई।



3. पौधा संरक्षण उपकरण की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता -

नॉपसॉक स्प्रेयरों की आपूर्ति:


तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की खेती में उपयोग करने के लिए पौधा संरक्षण उपकरणों को प्राप्त के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटका के तम्बाकू किसानों को 2017-18 के दौरान सब्सिडी के आधार पर 1180 नॉपसॉक स्प्रेयरों की आपूर्ति की गई। अ.जा अ.ज.जा ग्रोयरों को कुल लागत में 50% और अन्य ग्रोयरों को 25% सब्सिडी बढ़ाया गया था। 2017-18 फसल मौसम के दौरान ग्रोयरों को आपूर्ति नॉपसॉक स्प्रेयर का मूल्य ₹ 2,499/- प्रति स्प्रेयर है और इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की ₹ 8.56 लाख रशि 1180 लाभभोगियों को भुगतानित किया गया था।

4. तम्बाकू क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण के लिए योजना - ईधन दक्ष तकनीकी का प्रसार :

तम्बाकू क्यूरिंग केलिए ईधन को बचाने के प्रयास में, तम्बाकू बोर्ड कई ऊर्जा संरक्षण योजनाओं को लागू कर रहा था। इस योजनाओं के अंतर्गत व्यापारियों के साथ समन्वय से उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके ऊर्जा संरक्षण तकनीकियों को अपनाने के द्वारा ग्रोयरों के प्रोत्साहित किया जा रहा है। ईधन दक्ष तकनीकियाँ जैसे., भट्टी का संशोधित अभिकल्प के साथ परंपरागत बखार भट्टी को बदलना, ज्लास ऊन छत पृथक्करण के साथ बखारों का पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ बखारों का फिटिंग करना आदि, से न केवल ईधन लागतों को बचाने में सहायता मिलेगी बल्कि तम्बाकू क्यूरिंग के लिए समय भी कम हुई, जिससे एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में मितव्ययी पायी गयी है।


क) परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंटुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना :

फर्नेस व्यवस्था का संशोधित अभिकल्प है-वेंटुरी फर्नेस, जो ईंधन और गर्मी स्थानांतरण का बेहतर दहन की सुविधा बनती है, ताकि प्लू पार्फ्य में सूट जमावट से बचने आक्षिजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करती है और ईंधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। बोर्ड ने व्यापारी वर्ग (मेसर्स आई टी सी लिमिटेड और मेसर्स गाड़फ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड) के सहयोग से 2017-18 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 94 लाभभोगियों को कवर करते हुए 88 बखारों में इस योजना को लागू किया था और इन बखारों को वेंटुरी फर्नेस से रीफिट किया गया था। प्रत्येक लाभभोगी ग्रोयरों को बोर्ड और व्यापारी वर्ग द्वारा सब्सिडी से संबंधित हर बखार को ₹5,000/- की राशि बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹4.40 लाख रुपये व्यय हुई।



ख) बखारों को ग्लास ऊन पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिट्टिंग :

बखारों के छत को ग्लास ऊन पृथक्करण के द्वारा एफसीबी तम्बाकू क्यूरिंग में उर्जा संरक्षण को प्रमोट करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और लाभभोगी ग्रोयर को सब्सिडी की राशि बढ़ाने के द्वारा बखार में मुक्त वायु संचालन के लिए टर्बो वेंटिलेटर का प्रोवैड करना है। यह योजना 25 से 27% तक ईंधन लकड़ी की बचत और हर हेक्टार को लगभग ₹6,500/- तक कृषि लागत को कम करने पर ध्यान देती है। इसके अलावा, बखार में इन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप पत्ता की कारमलैजेशन और सोखने से बचने के द्वारा क्यूरिंग में पत्ता की गुणवत्ता में सुधार हुई। 16X16 परिमाण के हर बखार के लिए ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर का कुल लागत ₹25,502/- से ₹29,667/- प्रति बखार तक रहा था।



बोर्ड ने व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स. डक्कन टोबाको एंटरप्राईजेस) के सहायता से ₹ 5,300/- प्रति बखार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा इस योजना को 2017-18 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फोकसड़ मोड में कार्यन्वित किया था। व्यापारी वर्ग ने वित्तीय सहायता के रूप में 50% मूल्य का योगदान दिया और बाकी 25% पृथक्करण का लागत लाभभोगी ग्रोयरों के द्वारा अपना गयी थी। 2017-18 के दौरान पृथक्करण केलिए प्रस्तावित लक्ष्य 1460 बखारों के लिए आन्ध्र प्रदेश में 1342 पंजीकृत ग्रोयरों के 1200 बखार पृथक्करण किये गये थे और बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत सक्षिप्ती की राशि के रूप में ₹63.60 लाख व्यय किया था। जलास उन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिटेड क्षेत्र वार बखार विवरण निम्नानुसार है।

क्षेत्र	लाभभोगी ग्रोयर	पृथक्करण किये बखार	वित्तीय सहायता (₹ लाख)
उहमि क्षेत्र	513	495	26.24
दहमि क्षेत्र	248	205	10.86
दकामि क्षेत्र	581	500	26.50
कुल	1342	1200	63.60

ग) “अपने ईथन स्वयं पैदा करना” योजना - त्वरित पैदा होने वाले वृक्ष पौधों की आपूर्ति :

सतत तम्बाकू उत्पादन (एस टी पी) सिद्धांतों में तम्बाकू क्यूरिंग के लिए कोयला और जलाऊ लकड़ी जैसे गैर-टिकाऊ-स्त्रोतों के उपयोग को समाप्त करने की विचार (परिकल्पना) की गई है। क्यूरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी को टिकाऊ लकड़ी स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता है और वैकल्पिक जैव- द्रव्यमान ईधनों को भविष्य में प्रमोट किया जाना चाहिए। इस पहलू के एक हिस्से के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों को प्राकृतिक लकड़ी के संसाधनों को प्रभावित किये बिना



अपने स्वयं प्लानटेशन करने द्वारा तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईधन की आवश्यकता को सुनिश्चित करने तेजी से पैदा होने वाले पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वास्तव में, तम्बाकू बोर्ड यह अनिवार्य बना दिया कि तम्बाकू के सभी पंजीकृत ग्रोयरों को प्रति वर्ष कम-से-कम 10 पौधे लगाना होगा।

2017-18 के दौरान, ग्रोयरों को तेजी से पैदा होने वाली पौधों को अपने घरों, क्षेत्र पुश्ता (फील्ड बंड), बल्किंग शेड, बखारों के पास खाली जगहों में रोपण करने के लिए मुफ्त में आपूर्ति किये। यह योजना आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के वन विभागों के समन्वय से कार्यान्वित किया गया था। कर्नाटक में, तम्बाकू बोर्ड ने मैसूरु क्षेत्र में उप वन संरक्षक, हुन्सूर और पेरियपट्टना क्षेत्र में उप वन संरक्षक, के.आर.नगर से प्रत्येक पौधा को ₹8.20/- के हिसाब से प्राप्त करके पंजीकृत ग्रोयरों को 50,000 पौधों को मुफ्त में आपूर्ति करने की व्यवस्था की है। आन्ध्र प्रदेश में, आई टी सी पेपर बोर्ड और स्पेशलिटी पेपर डिविजन, भद्राचलम के समन्वय से उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में प्रत्येक क्लोन को ₹1/- के समिक्षिकी कीमत में ग्रोयरों को 90,000 नीलगिरी क्लोनों की व्यवस्था की।

घ) तम्बाकू क्यूरिंग के लिए वैकल्पिक ऊत - तम्बाकू क्यूरिंग के लिए सौर धर्मल ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान :

तम्बाकू बोर्ड ने व्यापारी वर्ग के सहयोग से तम्बाकू क्यूरिंग में सौर धर्मल ऊर्जा के उपयोग करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग प्रणाली आधारित सौर धर्मल ऊर्जा का विकास और मूल्यांकन” का प्रारंभ किया। इस परियोजना की अवधि दो साल रहा है और यह परियोजना की कुल लागत ₹35 लाख है। यह परियोजना लागत को तम्बाकू बोर्ड, मेसर्स आई टी सी लिमिटेड और मेसर्स जीपीआई द्वारा प्रत्येक का 1/3 शेयर योगदान करने के द्वारा साझेदारी का प्रस्ताव रखा गया।

5. पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

क) गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एन टी आर एम) का निष्कासन कान्वास-टार्पालिनों की आपूर्ति:

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एन टी आर एम) संकटपूर्ण चिंता का विषय है। तम्बाकू अखंडता की रक्षा करने एन टी आर एम ऊत का निष्कासन और एन टी आर एम का पता लगाना और आपूर्ति शृंखला के सभी स्तरों पर हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। फार्म स्तर पर रोकथाम और एन टी आर एम ऊतों का निष्कासन लागत प्रभावित है और सकरात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सफल योजना को अपनाना है। फार्म-स्तर पर एन टी आर एम का निष्कासन करने के लिए किसानों और किसान समुदाय के साथ मजबूत साझेदारी और किसानों का



निरंतर शिक्षा प्रदान करना प्रधान तत्व हैं। उत्पाद अखंडता को रखरखाव करने में स्वच्छ हांडलिंग प्रथाओं जैसे कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और भंडारण आदि, में एन टी आर एम से दूर रहने के प्रयास को लागू करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। इन दशाओं में उत्पाद की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एन टी आर एम से दूर रहने कटाई, परिवहन, क्यूरिंग, भंडारण और ग्रेडिंग के दौरान हरी तम्बाकू को साफ निपटाने में सहायता देने में मदद करने के लिए कर्नाटका में 4,185 ग्रोयरों को 4,185 कान्वास टार्पलीनों को सव्सिडी लागत पर आपूर्ति की गई। इस योजना के अंतर्गत ₹37.90 लाख रुपये का व्यय किया गया था। 24'x12' परिमाण का टार्पलीन को ₹2,572/- प्रति टार्पलीन की लागत से आपूर्ति की गई थी। अ.जा अ.ज.जा ग्रोयरों को कुल लागत में 50% और अन्य ग्रोयरों को 35% का सव्सिडी बढ़ाया गया था।

ख) बल्किंग शेड का निर्माण / नमूना भंडारण सुविधाएँ :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से विपणन के लिए तैयार कर ने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण का निर्माण करना आवश्यक है। बेहतर कृषि भंडारण सुविधाएँ, जो किसानों को एन टी आर एम को रोकने में और “उत्पाद की सफाई” को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयरों को बल्किंग शेड भंडारण सुविधाओं को निर्माण करने के लिए 2017-18 फसल मौसम के दौरान वित्तीय सहायता और वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यक ऋण बढ़ाने के द्वारा प्रोत्साहित किया। 2017-18 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रति यूनिट को ₹15,000/- की वित्तीय सहायता बढ़ा दी और इस योजना के अंतर्गत कुल ₹0.30 लाख रुपये व्यय किये गये।

ग) पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) का मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों का अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक बार उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों का मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशक मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए न सिफारिश कीटनाशियों का उपयोगिता आदि, से पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या का कारण होते हैं। क्यूरड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाले गंभीर आयाम माना जाता है क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एम आर एल) से नीचे होने का कड़े शर्ते लगाये थे। हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है, और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं को निपटाने के लिए कार्य योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है।

तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सी पी ए हॉट स्पाट हैं, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाता है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष के पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉट स्पॉट मध्यस्तर को अपनाये गये। 2017-18, के दौरान, बोर्ड ने हॉटस्पॉट को पहचान करने पत्ता तम्बाकू में सीपीए

अवशेषों की मात्राओं को मोनिटरिंग तदनुसार सुधारात्मक करिवाई करने के लिए एन आई पी एच एम, हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के 227 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं का विश्लेषण अपनाया था। पत्ते के नमूनाओं के विश्लेषण के लिए ₹11,800/- प्रति नमूना की लागत में किये गये और विश्लेषण प्रभार से संबंधित ₹21.11 लाख व्यय किया गया।

घ) निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड के लिए पत्ता तम्बाकू का पत्ता रसायन विश्लेषण :

निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड को निर्धारण करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने हर फसल मौसम में तम्बाकू पत्ते के विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके। 2017-18, के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ प्रारंभ होने से पहले आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी प्लैटफार्मों से एकत्रित 227 पत्ते नमूनाओं का विश्लेषण, जो पत्ता तम्बाकू में रसायनिक संघटकों को निर्धारण करने संघटक के लिए ₹767/- के हिसाब से केंद्रीय, राजमहेन्द्री में विश्लेषण कराया था। इस लेखा के अंतर्गत ₹5.02 लाख कुल व्यय किये गये।

III. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

तम्बाकू बोर्ड किसानों को व्यक्तिगत संपर्कों, सामूहिक बैठकें, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट कम-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म ट्रूयल परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा समय पर फसल सूचनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण द्वारा सफल पूर्वक तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है।

1. किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए विस्तार अभियान और योजना के किसान समुदाय को प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व माता जाता है। इसके द्वारा नवीनतम तकनीकी जानकारी, नेतृत्व विकास और व्यवहार परिवर्तनों के हस्तांतरण और उपयोग करने में इसमें (प्रशिक्षण) क्षमता प्राप्त होती है। मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण और निरंतर आवश्यक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण तम्बाकू की खेती में उत्तम कृषि प्रथाओं को लागू करने में किसानों को कुशल बनाता है, जिससे इथरता सुनिश्चित होती है। विस्तार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है।



इसको दृष्टि में रखते हुए, जो पिछले फसल मौसमों में किया गया था, के अनुसार 2017-18 फसल मौसम के दौरान सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाले विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयरों और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। विवरण निम्नानुसार है :



- बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के किसानों को सभी मिट्टी क्षेत्रों में उत्तम कृषि प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करने नर्सरी प्रबंध से लेकर फसल की कटाई, क्यूरिंग और ऑनफार्म भंडारण तक रहे फसल वृद्धि के विभिन्न चरणों में किसानों को कुल मिलाकर 241 प्रशिक्षण कार्यक्रम 2017-18 में आयोजन किये थे। लगभग 13,732 ग्रोयरों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिये थे।
- तम्बाकू बोर्ड ने के तं अ सं और व्यापारी वर्ग के समन्वय से ओरबान्खे नियंत्रण के लिए निवारक उपायों पर किसानों को सूचित करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। ओरबान्खे के नियंत्रण केलिए किये जाने वाले निवारक उपायों पर प्लानटेशन अपनाने से पहले ही ग्रोयरों को जानकारी देने हेतु प्लैटफार्म स्तर में विशेषकर सभी दक्षिण काली मिट्टी और हल्की मिट्टी क्षेत्र के प्लैटफार्मों में ग्रोयर बैठकें आयोजित की।
- एन आई पी एच एम, हैदराबाद में पेस्ट निगरानी, पेस्ट नियंत्रण और संघटित पेस्ट प्रबंध (आई पी एम) के उन्नत अवधारणों, जैव नियंत्रण एजेंट और सूक्ष्म जीवी जैव-कीटनाशियों का ऑन-फार्म उत्पादन पर ग्रोयरों और बोर्ड के तकनीकी आधिकारियों को प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 2017-18 के दौरान एन आई पी एच एम में 148 ग्रोयर और 39 बोर्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किये गये।
- गोपालपुरम, कोयलगड़ेम, जे.आर.गूडेम नीलाम प्लैटफार्मों में संघटित पेस्ट प्रबंध (आई पी एम) प्रक्रिया का उपयोग करके कीटनाशी अवशेषों को रोकने ग्रोयरों को शिक्षित करने एन आई पी एच एम वैज्ञानिकों के द्वारा दि. 27 और 28 दिसंबर, 2017 तक दो दिनों के लिए उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र तम्बाकू ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- के तं अ सं, राजमहेन्द्री के विशेषज्ञों की सेवाएँ उपयोग करने के द्वारा पत्ता की कटाई, हरे पत्ते की श्रेणीकरण, पत्ता की इट्रिंगिंग, पत्ता की परिपक्वता के आधार पर इटक लोड करना, ज्लास ऊन छत पृथक्करण बखार / वेंटुरी लगाये बखार / पारंपरागत फर्नेस सहित बखार में तापमान / प्रबंध आदि., करते समय अनुसरण किये जाने वाले उत्तम प्रयासों पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र के संगायगूडेम (देवरपल्ली), पेद्दापुरम (गोपालपुरम), डिप्पकायलपाड़ (जे.आर.गूडेम-II) में दि. 6 मार्च 2018 को और सीतारामपेटा (जे.आर. गूडेम-I) चिन्नवारी गूडेम (जे. आर गूडेम-II) गाँवों में दि. 7 मार्च 2017 को तम्बाकू क्यूररों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

2. कार्यशाला :

तम्बाकू बोर्ड ने, केतंअसं और आई टी सी के विशेषज्ञों की सहायता से 2017-18 के दौरान निश्चित प्रधान स्थानीय समस्याओं / तम्बाकू खेती के प्रमुख मुद्दों और व्यवहारिक समाधान प्रदान पर विभिन्न क्षेत्रों के ग्रोयरों के लिए पाँच कार्यशालाएँ आयोजित किये थे।



- कमी वर्षा परिस्थितियों के अंतर्गत मिट्टी नमी को संरक्षण करने के लिए अपनाने वाले उपायों पर ग्रोयरों को सुग्राही बनाने दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र के ग्रोयरों के लिए दि. 19 जनवरी, 2018 को ओंगोल - II नीलाम प्लॉटफार्म परिसर में ‘‘सूखा नमी प्रभाव स्थितियों के अन्तर्गत अपनाने विशेष कृषि संबंधित अभ्यास’’ पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- दि. 18 जनवरी, 2018, को केतंअसं, अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु में दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्र के ग्रोयरों के लिए आयोजित कार्यशाला में जलवायु स्थिति के आधार पर रोपण समय परिवर्तन लाभ हरी खाद फसलों को पैदा/बढ़ाने के महत्व, जल संरक्षण व्यवहार जैसे., कृषि तालाबों का निर्माण, छोटे चेक डाम आदि., को अपनाना और तम्बाकू खेती के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग पर ग्रोयरों को समझाया गया था।
- दि. 1 फरवरी, 2018 को केतं अ सं अनुसंधान केन्द्र, जीलुगुमिल्ली में उत्तरी हल्की मिट्टी और काली मिट्टी क्षेत्रों के ग्रोयरों को संकर (हाईब्रीड) की खेती में होने वाले अच्छे कृषि प्रयास, हल्की मिट्टी तम्बाकू उत्पादन में उपज प्रतिबंधों और इन बाधाओं को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले उपायों और ओरेबान्खे मुक्त तम्बाकू खेती को अपनाने निवारक कार्यवाई के बारे में चर्चा करने एक कार्यशाला आयोजित किया था।
- कर्नाटका हल्की मिट्टी क्षेत्रों में एपसीवी तम्बाकू की खेती में अपनाये जाने वाले अच्छे कृषि प्रयासों पर चर्चा करने 8 जून 2017 से 1 सितम्बर 2017 तक के तं असं, हुन्सूर में कर्नाटका तम्बाकू ग्रोयरों के लिए दो कार्यशालाएँ आयोजित किये गये।

3. किसान अनावरण विजिट - कम

- अध्ययन यात्राएँ :

किसान अनावरण विजिट, जहाँ खेती में नयी प्रौद्योगिकी तथा तकनीकियाँ शामिल हैं, उन प्रांतों को विजिट करने के द्वारा किसान अपना ज्ञान और कौशल को विस्तार करने का एक अवसर प्रदान करती है। यह अनावरण विजिट किसानों को अपने प्रचालन क्षेत्र से परे और कई तकनीकों को समझाने और सीखने तथा नये तकनीकियों को अपनाने के द्वारा उनके आय को बढ़ाने की तरीके को समझाने का अवसर मिलती है।

- तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में किसानों को पत्ता तम्बाकू में एन टी आर एम समर्थ्या के बारे में सुग्राही बनाने और एन टी आर एम को निष्कासन करने के लिए निवारण उपायों तथा उत्पाद अखंडता को बनाये रखने उन्हे प्रभावित करने निर्यातक / निर्माणकर्ताओं की प्रोसीसिंग यूनिटों में किसानों के लिए 27 अध्ययन पर्यटन आयोजित किये थे।
- दि. 22/01/2018 को लाम, गुण्टूर में ‘किसान मेला’ में वेल्लपल्ली -॥ प्लैटफार्म से किसान अनावरण विजिट का आयोजन किया गया था।
- कर्नाटका के एफसीवी तम्बाकू किसानों को “कृषिमेला” में भाग लेने के लिए दि. 17 और 18 नवंबर 2017 तक जी के वी के, यू ए एस, बेंगलूरु को पर्यटन अपनाये गये थे।
- दक्षिण काली मिट्टी और हल्की मिट्टी क्षेत्रों के ग्रोयरों को दि. 16 & 17 फरवरी 2018 को वाई एस आर बागबन विश्वविद्यालय, “वैंकट रामन गूडेम”, पश्चिम गोदावरी जिला को और उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों के एफ सी वी तम्बाकू पैदावार प्रांतों को भी किसान अनावरण विजिट. कम. अध्ययन यात्राओं को आयोजित किये गये। ग्रोयरों को बिन्दु सिंचाई और एफसीवी तम्बाकू की खेती में प्रजनन प्रथाओं और तम्बाकू की पैदावार और गुणवत्ता पर उनके प्रभाव को भी दिखाये गये थे।



4. प्रचार सामग्री :

तम्बाकू बोर्ड ने ग्रोयरों को वितरण करने केलिए 2017-18 के दौरान हरी खाद और ओरबान्खे (रुट परजीवी) नियंत्रण पर करपत्रों को वितरण किये थे।



5. क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलूओं पर ग्रोयरों को समय पर सलाह और सुझाव देने के तं अ सं के विशेषज्ञों, मेसर्स आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स जी पी आई लिमिटेड के क्षेत्र कार्यकारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किया गया था। क्षेत्र मित्र दल अपनी यात्राओं के दौरान सभी क्षेत्रों के साधारण फसल स्थिति को निरीक्षण करेगी और फसल स्थिति को सुधार करने के लिए अपनाये जाने वाली विशिष्ट मध्यस्थताओं पर बोर्ड विस्तरण कर्मचारी और ग्रोयरों को सूचित करेगी। क्षेत्र मित्र दिल, जो क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा किये गये फसल अनुमान प्रक्रिया को प्रमाणित करने के द्वारा क्षेत्र और तम्बाकू उत्पादन का अनुमान भी लगायेगी।



के तं अ सं. राजमहेन्द्री से विशेषज्ञ दल दि 27 से 29 दिसंबर, 2017 तक आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और नेल्लुरु जिलों के तम्बाकू उगाने वाले प्रांतों को विजिट किया तथा 2017-18 फसल मौसम के दौरान रहे प्रबल वर्षाभाव की स्थिति को पार करने के लिए उपचारात्मक उपायों पर किसानों को सूचित किया। ग्रोयरों को पोषक तत्वों की अवशोषण में सुधार करने, जोकि नमी तनाव स्थिति को सहन करने में सहायता मिलने शुष्क (कूल) घंटों के दौरान पानी धुलनशील उर्वरकों को स्रे करने की सलाह भी दी।

6. ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

तम्बाकू बोर्ड ने, अनुसंधान केन्द्र और किसान क्षेत्रों के बीच उत्पादन स्तर में अन्तर को कम करने के लिए फसल उत्पादन में नये तकनीकियाँ का निर्दर्शन था अनुमोदित तकनीकियों को लोकप्रिय बनाने और उत्पादकता साथ-ही-साथ तम्बाकू की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसान को सहायता करने ग्रोयरों के क्षेत्रों में ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण को कार्यान्वित किया था।

2017-18, के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने पाईपलाईन किरम / हाईब्रिड किरम / समेकित पोषकतत्व प्रबंध प्रथा/ पोटाशियम नैट्रेट (केएनओ-3) सहित नैट्रोजन और पोटाशियम का पर्णीय पोषकतत्व प्रजनन के द्वारा संतुलित उर्वरक अनुप्रयोग आदि., के परीक्षण के लिए 30 ऑन फार्म ट्रयल प्लाटों को अपनाये। किसान, जो इस परीक्षण के लिए आगे आये थे, को प्रोत्साहन दिये गये थे। ग्रोयरों द्वारा व्यापक रूप से अनुकूलन के लिए परीक्षणों के परिणाम का प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र दिन कार्यक्रमों को भी आयोजित किये गये थे। इस योजना को लागू करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने ₹4.12 लाख रुपये का व्यय किया था।





7. नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्रों और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों के 11 गाँवों में और कर्नाटका के कम उत्पादकता क्षेत्रों के 12 गाँवों में रहे किसानों को उनके क्षेत्रों में तम्बाकू में उत्पादकता और गुणता को बढ़ाने के लिए उत्तम कृषि तरीकों को अपनाने के लिए के बिंद्रत रीति में नमूना परियोजना क्षेत्र योजना को कार्यान्वित किया था। मेरसर्स. आईटीसी लिमिटेड, मेरसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, डक्कन टोबाको कंपनी और अलियन्स वन इंडिया लिमिटेड भी एम पी ए गाँवों में



विकासात्मक क्रियाकलापों करने में शामिल थे।

2017-18 में विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2017-18 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹228.92 लाख कुल व्यय की। योजना वार इस व्यय का ब्रेक-अप पिछले दो वर्षों की तुलना में निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विस्तार योजनाएँ	2015-16	2016-17	2017-18
पौधा संरक्षण उपकरण की आपूर्ति	8.23	24.00	8.56
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	90.36	65.73	71.45
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	6.70	122.58	72.11
एन टी आर एम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	70.99	73.01	37.90
पोर्ट हार्वर्ट उत्पाद प्रबंध	2.40	1.05	0.30
किसानों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	21.06	14.09	23.53
ऑन फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	4.55	3.72	4.13
नमूना परियोजना क्षेत्र	27.30	22.05	10.94
कुल	231.59	326.23	228.92

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 50 से 56 में दिये गये।

2017-18 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ - लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क्र.सं	योजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष			लाभभोगियों की सं.			प्रत्यक्ष उपलब्धि			वित्तीय परिव्यय	वित्तीय उपलब्धि (₹. लाख)		
		आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	(₹ लाख)	आं.प्र.	के.के.	कुल
1	पौधा संरक्षण उपकरण की आपूर्ति													
i	नैपारसेक ल्योयर की आपूर्ति	0	1198	1198	0	1180	1180	0	1180	1180	8.60	0.00	8.56	8.56
	उप कुल				0	1180	1180				8.60	0.00	8.56	8.56
2	स्थारस्थ बीज उत्पाद केलिए उत्तर जर्सी प्रबंधक तकनीकी का प्रोत्साहन													
क	दे और कोकोपिट की आपूर्ति	0	944200	944200	0	3654	3654	0	782850	782850	43.00	0.00	42.08	42.08
ख	ग्रीन हाउस सहित अल्ट्रा वयलेट (चूर्णी शीट)	0	240	240	0	116	116	0	116	116	4.00	0.00	1.74	1.74
ग	स्थायी बहु हरित गृह	0	60	60	0	30	30	0	30	30	4.00	0.00	1.50	1.50
	उप कुल				0	3800	3800					0.00	45.32	45.32
3	कर्यालिंग प्रयत्नों की वृद्धि													
क	वर्खारों में संशोधित अभिकल्प फर्नेस वर्टुरी	90	0	90	94	0	94	88	0	88	100.00	4.40	0	4.40
ख	वर्खारों को गलास उन छत पृथककरण	1460	0	1460	1313	0	1313	1176	0	1176	62.33	0.00	62.33	

क्र.सं	योजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष		लाभांगियों की सं.		प्रत्यक्ष उपलब्धि		वित्तीय परिव्यय		वित्तीय उपलब्धि (₹. लाख)	
		आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	(₹ लाख)	आं.प्र.	के.के.	कुल
ग	तम्बाकू क्षृतिंग केलिए ईधन को रेजिंग करता (पौधों की संख्या)	265000	50000	315000	150	3997	4147	90000	50000	140000	10.00
	उप कुल				1557	3997	5554			110.00	67.63
4	पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अंकड़ता केलिए									4.49	72.11
क	एव दी आर एम का विष्कासन-टापलीनों की आपूर्ति	0	4370	4370	0	3984	3984	0	3984	3984	40.00
छ	कौटनाशी अदूशों केलिए पता विश्लेषण	125	101	226	123	101	224	123	101	224	25.00
ग	रसायनिक अंशभूतों के लिए पता विश्लेषण	125	101	226	123	104	227	123	104	227	
घ	वर्लिंग शेड निर्माण	...	0	0	3	0	3	2	0	2	6.00
	उपकुल				249	4189	4438			71	12.12
5	अन्य विस्तार कार्यक्रम									52.22	64.33
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण										
i	कार्यशाला	3	2	5	205	212	417	3	2	5	15.00
ii	नीलाम अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	108	72	180	6281	4515	10796	110	72	182	15.00
iii	एक आई पी एस में आधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	187	0	187	5	0	5	10.76
											0.00
											10.76

क्र.सं	योजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष				लाभमोगियों की सं.				प्रत्यक्ष उपलब्धि				वित्तीय परिव्यय		वित्तीय उपलब्धि (₹. लाख)	
		आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	
ख	प्रचार & विस्तार सहित्य	2.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	
ग	अध्ययन यात्रा	36	24	60	579	301	880	25	2	27	12.00	3.39	2.06	5.45			
घ	केंद्र मित्र दल	6 visits	0	6 visits	...	0	...	6	0	6	2.00	0.34	0.00	0.34			
	उप कुल				7252	5028	12280				31.00	18.75	4.78	23.53			
6	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रूयल	18	12	30	1182	778	1960	18	12	30	6.00	2.45	1.67	4.13			
7	नकूला परियोजना क्षेत्र (₹.)																
क	देरे और कोकोपिट की आपूर्ति	0	37074	37074	0	35	35	0	6822	6822			0.00	0.69	0.69	0.69	
ख	गलास उन छन्न पृथक्करण	55	0	55	29	0	29	24	0	24			1.27	0.00	1.27	1.27	
ग	एन्टीआएम का निष्कासन टारफलीवों की आपूर्ति	0	300	300	0	201	201	0	201	201	30.00	0.00	0.00	1.85	1.85	1.85	
घ	एकपीए में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	11	12	23	676	776	1452	11	11	22			0.45	0.85	0.85	1.31	
ड	केंद्र शामिक/वाहनों का किराया/वेतन/साईन बोड/बेनर & अन्य लाय	11	12	23	11	12	23			3.06	2.76	2.76	5.82	
	उप कुल				705	1012	1717				30.00	4.78	6.16	10.94			
	साहा योग				10945.00	19984.00	30929.00				303.60	105.74	123.19	228.32			

2017-18 के दैरान विभिन्न विस्तार व विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अजा/अजाजा/महिलाओं तथा अन्य ग्रेयरों को कवरेज

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभांगीयों						परिलक्षियाँ			वित्तीय (सालिंडी में)
		अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अन्य	
1	पौधा संरक्षण उपकरण की आपूर्ति										
क	कॉपस्टॉक स्ट्रेयर की आपूर्ति	134	58	246	742	1180	134	58	246	742	1180
	उप कुल	134	58	246	742	1180					1.68
2	तम्बाकू की पेदावार & गुणता की दृष्टिकोण										
क	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	345	142	697	2470	3654	78156	32610	157848	514236	782850
अ	ग्रीन हाऊस याहित अल्प वयस्ते (चूर्णी शीर छत)	2	6	12	96	116	2	6	12	96	116
ग	ट्यूथी बहु हरित गृह	1	0	1	28	30	1	0	1	28	30
	उप कुल	348	148	710	2594	3800					5.65
3	कम्पूरिंग प्रक्रिया की वृद्धि										
क	बाजारों में संशोधित अभिकल्प - देटुरी फर्नेस	5	0	28	61	94	4	0	26.5	57.5	88
									0.20	0.00	1.33
											2.88
											4.40

क्र. सं.	योजना का नाम	परिलक्ष्य						वित्तीय (शक्तिशाली)								
		लाभांगीयों	अ.जा. अ.ज.जा. महिला	अन्य	कुल	अ.जा. अ.ज.जा. महिला	अन्य									
ख	बआरों को जलास उन छत पृथककरण	38	38	346	891	1313	32.5	37	321.05	785.45	1176	1.72	1.96	17.02	41.63	62.33
ग	तम्बाकू क्षृतिग्रन्थि कुञ्ज कोरेक्शन करना	4147	14000	5.39
	उप कुल	43	38	374	952	5554										72.11
4	पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अन्धडता केलिए उपाय															
क	एनटी आर एम का विष्कासन- ठापलीनों की अपूर्ति	417	222	764	2581	3984	417	222	764	2581	3984	5.26	2.85	6.80	22.99	37.90
ख	कैटनाशी अवशेषों केलिए पता विश्लेषण	224	224	21.11
ग	दस्यालिक अंशभूतों के लिए पता विश्लेषण	227	227	5.02
घ	विटिंग शेड निर्माण	0	0	2	1	3	0	0	1.5	0.5	2	0.00	0.00	0.23	0.08	0.30
	उपकुल	417	222	766	2582	4438						5.26	2.85	7.03	23.06	64.33

क्र.सं क्र. सं.	योजना का नाम कार्यक्रम	परिलक्षिताएँ					
		ताकदीयाँ अ.ज.आ. सहिता	ताकदीयाँ अ.ज.आ. सहिता	भौतिक (यूनिट)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (शब्दियोंमें)	वित्तीय (शब्दियोंमें)
5	अन्य विस्तार कार्यक्रम	अ.ज.आ. सहिता अन्य	कुल अ.ज.आ. सहिता अन्य	कुल अ.ज.आ. सहिता अन्य	कुल अ.ज.आ. सहिता अन्य	महिला अन्य	कुल अन्य
	क विसानों&कर्मचारियों को प्रशिक्षण						
i	नीलाम अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	10796
ii	एन आई पी एच एम में आधिकारियों/ कर्मचारियों ग्रोवरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम	187
iii	कार्यशाला	417
iv	प्रचार & विस्तार सहित्य सहिता	5	10.76
v	अध्ययन यात्रा	5	1.74
vi	क्षेत्र मित्र दल	0.16
उप कुल :		12280	23.53
6	आँन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक दृश्यल	1960	4.13

क्र.सं	योजना का नाम 7 नमूना परियोजना क्षेत्र (हे)	परिलक्ष्य						वित्तीय (शक्तिहीन)				
		अ.जा.अ.ज.जा.महिला	लाभांगियों	कुल	अ.जा.अ.ज.जा.महिला	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल
क	द्वे और कोकोपेट की आपूर्ति	8	0	6	21	35	1572	0	1572	3678	6822	0.16
ख	एनटीआएम का निष्कासन रापलीवों की आपूर्ति	18	1	34	148	201	18	1	34	148	201	0.22
ग	उत्तास उन छत्र बाखारों का पृथक्करण	1	0	5	23	29	1	0	4	19	24	0.05
घ	अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	1452	22	...	0.00
ड	क्षेत्र श्रमिक/वाहनों का किराया/ वेतन/साईन बोर्ड/बेनर 8 अन्य व्यय	23
	उप कुल	27	1	45	192	1717				0.43	0.01	0.67
	महा योग	969	467	2141	7062	30929				13.01	6.01	17.49
												59.40
												228.92

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) तम्बाकू बोर्ड का ग्रोयर कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिषा राज्यों में लगभग 89,000 तम्बाकू ग्रोयरों और उनके परिवार सदस्यों की कल्याण करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजनाएँ” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनाया।

यह कल्याण योजना मृत्यु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता और बालिका विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बच्चाओं को मरम्मत आदि., के लिए व्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रावधान करता है। तम्बाकू बोर्ड अभी तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 12,611 ग्रोयरों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया। ₹ 30.08 करोड मूल्य के अनुदान 9,160 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 3,451 ग्रोयरों को ₹ 6.40 करोड मूल्य के व्याज मुक्त ऋण मंजूर किये गये। 30/03/2018 तक तम्बाकू बोर्ड का ग्रोयर कल्याण निधि में ₹ 56.12 करोड की राशि उपलब्ध रहा।

2017-18 के दौरान अनुदानों के रूप में ₹ 7.88 करोड और व्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 1.21 करोड रुपये, कुल मिलकर ₹ 9.09 करोड ऋण वितरित किये गये। विवरण पृष्ठ सं. 59 में दिये गये।

II. किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

क. मिट्टी व जल परीक्षण :

पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों के मिट्टी व जल नमूनाओं को एकत्र एवं विश्लेषण नियमित आधार पर मुफ्त में बोर्ड करता है। विश्लेषण परिमाणों के आधार पर, एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों की सही मात्राओं को उपयोग करने के लिए बोर्ड, ग्रोयरों को सलाह देती है। 2017-18 फसल मौसम के दौरान, 5300 मिट्टी नमूनाओं और 625 जल नमूनाओं को विश्लेषण करके संबंधित ग्रोयरों को सूचित किया गया।

राज्य	मिट्टी नमूने	जल नमूने
आन्ध्र प्रेदेश	2300	625
कर्नाटका	3000	--
कुल	5300	625

उक्त के अलावा, 2017-18 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1000 मिट्टी नमूनाओं और कर्नाटका में 180 मिट्टी नमूनाओं को एफई, जड़एन, एमएन और सीयू आदि., सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए विश्लेषण को अपनाये गये।

III एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए बखार और माल (स्टाक) बीमा :

वर्ष 2003 से स्टांडर्ड फायर तथा एलाइंड पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबंध जोखिम पॉलसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टाकों को आच्छेद बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्रोयार भी हर साल गूप पर्सनल एक्सिडेंड पालसी (जीपीए) (समूह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलसी) के अंतर्गत आच्छादित होते रहते हैं। 2017-18 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 32,115 ग्रोयरों तथा 31,311 बखारों के लिए बीमा आच्छेदन का प्रावधान किया।

IV ग्रोयरों के लिए ऋण सुविधाएँ :

2017-18 के दौरान एफसीवी तम्बाकू की कृषि के लिए एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्न लिखित फसल ऋण और बखार मरम्मत ऋणों के अग्रिम की सुविधा, बोर्ड ने दी है:

ऋण का प्रकार	आन्ध्र प्रदेश		कर्नाटका	
	लाभभोगियों (₹ करोड़ों में)	राशि (₹ करोड़ों में)	लाभभोगियों (₹ करोड़ों में)	राशि (₹ करोड़ों में)
फसल ऋण	41,019	2323.21	37,669	587.39
बखार मरम्मत ऋण	4,146	41.03	7,077	32.18

2017-18 के दौरान योजना वार दिये गये अनुदान/विवरण ब्याज मुक्त अरुण

प्लौटफार्मों में नीलाम सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रोताओं के बीच प्रतिस्थिर्धा की भावना को पैदा करने के लिए, तम्बाकू उत्पादकों को व्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटक में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 के दौरान एफसीवी तम्बाकू की बीक्री के लिए नीलाम प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली उत्पादकों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के ठीक तौलन को भी सुनिश्चित करती है। तब से लेकर बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा है।



एफ सी वी तम्बाकू का ई - नीलाम

I. आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

क) परिमाण एवं मूल्य :

2016-17 एफ सी वी फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2016-17 वित्तीय वर्ष में दि. 15/03/2017 को प्रारंभ और समापन वित्तीय वर्ष 2017-18 में दि. 09/10/2017 को हुई। नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 134.28 प्रति कि. ग्रा. के औसत मूल्य में ₹ 105.35 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू का कुल परिमाण विपणन किया गया, जिसमें 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए याने. दि. 01/04/2017 से 09/10/2017 तक अवधि के दौरान ₹ 133.70 प्रति.कि.ग्रा. के औसत मूल्य में ₹ 102.46 मि.कि.ग्रा परिमाण तम्बाकू विपणन हुआ था।

दि. 01/04/2017 से 31/03/2018 तक अवधि के दौरान
आन्ध्र प्रदेश में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण

क्र. सं.	नीलामी प्लैटफार्म का नाम	2017 आं.प्र. नीलामियाँ 01/04/17 से 09/10/17 तक की अवधि के दौरान विपणित परिमाण	2018 आं.प्र. नीलामियाँ 08/03/18 से 31/03/18 तक की अवधि के दौरान विपणित परिमाण	01/04/17 से 31/03/18 तक की अवधि के दौरान विपणित कुल परिमाण			
		विपणित परि. (मि कि गा)	औसत. दर (₹ किलो)	विपणित परि. (मि कि गा)	औसत. दर (₹ किलो)	विपणित परि. (मि कि गा)	औसत. दर (₹ किलो)
I. आन्ध्र प्रदेश							
1	तोरेंडू	2857151.8	132.89	0	0.00	2857151.8	132.89
	कुल (उ का मि)	2857151.8	132.89	0	0.00	2857151.8	132.89
2	वेल्लंपल्ली - I						
3	वेल्लंपल्ली - II	5375094.1	111.63	161248.4	155.62	5536342.5	112.91
4	ओंगोल - I	5629310.5	111.42	81146.4	156.21	5710456.9	112.06
5	ओंगोल - 2	5132644.0	116.45	100408.3	157.88	5233052.3	117.24
6	ठंगुदूर - I	5281630.9	118.17	126029.7	158.27	5407660.6	119.10
7	ठंगुदूर - II	4337532.7	112.33	111360.5	157.60	4448893.2	113.46
8	कोँडेपी	5895704.9	116.76	94749.9	158.58	5990454.8	117.42
	कुल (द का मि)	31651917.1	114.52	674943.2	157.26	32326860.3	115.41
9	पोदिली - I	2848483.6	109.74	108207.7	156.39	2956691.3	111.45
10	पोदिली - II						
11	कंदुकूर - I	7574346.1	121.47	283412.1	158.08	7857758.2	122.79
12	कंदुकूर - 2	5956861.4	114.72	228144.5	158.18	6185005.9	116.32
13	कनिंगरी	2021542.2	110.94	109925.1	156.94	2131467.3	113.31
14	कलिंगरी	2734902.0	110.64	104405.1	158.83	2839307.1	112.41
15	डी.सी. पल्ली	3726613.0	108.61	133921.4	158.78	3860534.4	110.35
	कुल (द ह मि)	27865748.3	114.53	968015.9	157.96	28833764.2	115.99
16	देवरपल्ली - I	7038770.1	161.85	0.0	0.00	7038770.1	161.85
17	जे.आर. गूडेम - I	9856801.3	156.79	0.0	0.00	9856801.3	156.79
18	जे.आर. गूडेम - 2	9810443.5	158.38	0.0	0.00	9810443.5	158.38
19	कोय्यलगूडेम	9175900.5	159.17	0.0	0.00	9175900.5	159.17
20	गोपालपुरम	7202152.3	159.29	0.0	0.00	7202152.3	159.29
	कुल (उ ह मि)	43084067.7	158.91	0.0	0.00	43084067.7	158.91
	कुल	102458884.9	133.70	1642959.1	157.68	104101844.0	134.08

ख) न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी)

बोर्ड की संगठित प्रयासों से अनेक वर्षों के अन्तराल के बाद भारतीय तम्बाकू संघ ने आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 फसल मौसम से एफ सी वी तम्बाकू फसल के लिए न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजी आई पी) देने के लिए सहमत हुई तथा घोषित की। मूल्य सूचक, 3 वर्षों के लिए जारी रहेंगे।

2016-17 फसल मौसम के लिए घोषित न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य :

श्रेणी	परंपरागत मिट्टियों में तम्बाकू के लिए एम जी आई पी (द ह मि, दकामि तथा उ का मि) (₹. कि./ग्रा)		उत्तरी हल्की मिट्टियों में तम्बाकू के लिए एमजी आई पी (₹. कि./ग्रा)	
	से	तक	से	तक
चमकीला	110.00	120.00	130.00	140.00
मध्यम	95.00	105.00	110.00	120.00
निम्न*	50.00	60.00	50.00	60.00

‘एन ओ जी’ श्रेणी को छोड़कर

ग) 2017 आन्ध्र प्रदेश नीलामी निक्रियों की विशिष्टिताएँ :

निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

2016-17 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए बोर्ड ने 130 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण निर्धारित किया था।

प्लानटेशन से पहले अल्प और देरी से प्राप्त वर्षा के कारण देरी से प्लानटेशन हुआ था। तम्बाकू के अंतर्गत रोपित क्षेत्र कम हो गया और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत क्षेत्र से कम रहा। कमी वर्षा की परिस्थितियों से फसल का विकास और उपज खराब प्राप्त हुई। क्षेत्रों में फसल की स्थिति विषम रहा था। जलवायु संबंधित प्रतिकूलताओं के साथ-साथ “ओरेवान्से” रुट परजीवी का प्रकोप भी इस वर्ष भी जारी रहा था। यह भी खराब पैदावार प्राप्त करने में योगदान दिया। प्रतिकूल वातावरण जारी के कारण, किसानों अन्य फसलों को पैदा करने में अशक्त रह गये और कुछ किसान अन्य फसलों की खेती करने के प्रयास किये लेकिन कुछ भी पैदा करने में नाकाम रह गये। तम्बाकू किसान, जहाँ भी संभव हो सके, तम्बाकू फसल के लिए जीवन बचत सिंचाई करने अधिक व्यय किये थे। कुल मिलाकर, प्रकृति भी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को सीमित रखने साथ-ही-साथ द ह मि और द का मि क्षेत्रों में उत्पादन को भी प्रतिबंधित करने में प्रधान भूमिका निभाई। यह प्रतिकूल वातावरण की स्थिति पूरे फसल मौसम में जारी रहा था, के कारण लागातार तीसरे वर्ष आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण प्रांत में कृषि लागत भी बढ़ गई और एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन रूटर में कमी आई। फिरभी उ ह मि क्षेत्र फसल पर कम वर्षा का प्रभाव नहीं रहा। इस क्षेत्र के अंतर्गत फसल अच्छी आ गई और अच्छी उपज पैदा हुई है।

2016-17 के दौरान क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और विपणित परिमाण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा)
1	उकामि क्षेत्र	4.00	2.86
2	दकामि क्षेत्र	39.00	31.11
3	दहमि क्षेत्र	45.00	27.72
4	उहमि क्षेत्र	42.00	43.66
	महा योग	130.00	105.35

घ) श्रेणी आऊट टर्न :

पिछले वर्ष के दौरान 39% : 31% : 30% रहे श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में वर्तमान फसल केलिए चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के प्रतिशतता के शब्दों के लिए क्रमशः 43%:26%:31% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये।

ड) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 मौसम एक सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलाभियों दो दशाओं में नीचे दिये सारणी के अनुसार प्रारंभ हुए :

क्र.सं.	फेज	नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ तारीख	नीलाम प्लैटफार्म
1	पहली दशा (दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्र)	15/03/2017 बुधवार	17 नीलाम प्लैटफार्म
2	दूसरी दशा (उकामि क्षेत्र)	06/04/2017 गुरुवार	1 नीलाम प्लैटफार्म

फसल की अल्प परिमाण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि वेल्लमपल्ली - 1 और वेल्लमपल्ली - 2 के अंतर्गत उत्पादित तम्बाकू को वेल्लमपल्ली - 2 नीलाम प्लैटफार्म में और पोदिली - 1 और पोदिली - 2 के अंतर्गत उत्पादित तम्बाकू को पोदिली - 1 नीलाम प्लैटफार्म में विपणित किया जाए। अतः आन्ध्र प्रदेश में पिछले वर्ष के दौरान संचलित 20 नीलाम प्लैटफार्मों के लिए 2017 नीलाम मौसम के दौरान 18 नीलाम प्लैटफार्मों को संचलित किये गये थे।

2016-17 एफ सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलाभियाँ व्यापारी वर्ग द्वारा किसानों के प्रत्याशित लाभों के अनुरूप रु. 160 प्रति कि.ग्रा. के अत्याधिक रिकार्ड मूल्य के साथ सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। प्रारंभ दिन में और मौसम के दौरान दर्ज किये उच्चतम बिड नीचे दिये गये :

मिट्टी क्षेत्र	प्रारंभ दिन		मौसम के दौरान	
	2016 नीलामियाँ (₹/कि.ग्रा)	2017 नीलामियाँ (₹/कि.ग्रा)	2016 नीलामियाँ (अंतिम) (₹/कि.ग्रा)	2017 नीलामियाँ (अंतिम) (₹/कि.ग्रा)
उत्तरी काली मिट्टियाँ (उकामि)	130.00	161.00	170.00	179.00
दक्षिणी काली मिट्टियाँ (दकामि)	146.00	162.00	155.00	203.00
दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि)	140.00	161.00	155.00	199.00
उत्तरी हल्की मिट्टियाँ (उहामि)	156.00	166.00	185.00	200.00

इस फसल मौसम के दौरान दकामि क्षेत्र में दर्ज किये ₹. 203/- के उच्चतम बिड, जो आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में एफसीबी तम्बाकू नीलामियों के प्रारंभ के अब तक की ऐतिहासिक उच्चतम (दर) रहा था।

₹134.28 प्रति.कि.ग्रा के औसत मूल्य में 105.35 मिलियम कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था। इस वर्तमान मौसम के दौरान प्रति कि.ग्रा. के लिए प्राप्त ₹134.28 औसतम मूल्य, पिछले वर्ष में प्राप्त औसतम मूल्य से ₹18.19 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा, जो आन्ध्र प्रदेश के एफ सी वी नीलामियों के इतिहास में उच्चतम रहा था।

2016-17 नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसतम मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है।

मिट्टी क्षेत्र	2017 निलामियों में औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	2016 निलामियों में औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	2016 की तुलना में 2017 में औसत मूल्य में अंतर (₹/कि.ग्रा)
उत्तरी काली मिट्टियाँ (उकामि)	132.89	99.28	+33.61
दक्षिणी काली मिट्टियाँ (दकामि)	116.11	107.35	+ 8.76
दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि)	116.22	109.12	+ 7.10
उत्तरी हल्की मिट्टियाँ (उहामि)	158.79	132.53	+26.26
कुल	134.28	116.09	+18.19

क्रेताओं की सक्रिय प्रतिभागिता के साथ नीलाम बिक्रियों के बाजार प्रारंभ दिन से उल्लासी रहा था। यद्यपि बाजार उल्लास होने पर भी, जीएसटी प्रणाली में नये कर दरों पर क्रेताओं के भय के कारण कुछ अशांक्ति और नये कर दरों के नियोध में अल्प समयावधि तक याने, 15/06/2017 से 17/06/2017. तक क्रेता लोग नीलामियों में भाग नहीं लिये थे। किसान भी क्रेताओं को अपने सहानुभूति प्रकट किये तथा 12 जून, 2017 को कोई बेल ऑफर नहीं किये गये। बाद में, नीलामियों कोई बाधा के बिना निविधन समाप्त हुए।

2016 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों की तुलना में 2017 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के दौरान चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए मिट्टी क्षेत्र वार विपणित परिमाण तथा प्राप्त औसत मूल्य नीचे दिये गये थे :

मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2017 नीलामियाँ		2016 नीलामियाँ		2016 नीलामियों की तुलना में 2017 के औसत मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मिलियन कि.ग्रा)	औसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (मि. /कि.ग्रा)	औसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा)	
उहकि	चमकीला	24.41	171.89	15.55	157.59	14.30
	मध्यम	14.02	150.55	16.45	129.95	20.60
	निम्न	5.23	119.74	7.54	86.48	33.26
	कुल	43.66	158.79	39.54	132.53	26.26
दहमि	चमकीला	7.46	162.74	13.67	136.09	26.65
	मध्यम	6.66	138.20	9.25	114.99	23.21
	निम्न	11.80	74.40	10.47	68.73	5.67
	कुल	25.92	116.22	33.39	109.12	7.10
दकामि	चमकीला	11.58	163.03	16.52	137.88	25.15
	मध्यम	6.34	123.92	9.62	112.72	11.20
	निम्न	14.99	76.57	16.46	73.56	3.01
	कुल	32.91	116.11	42.60	107.35	8.76
उकामि	चमकीला	1.65	156.96	0.97	122.24	34.72
	मध्यम	0.80	113.03	1.24	96.16	16.87
	निम्न	0.41	74.75	0.50	62.35	12.40
	कुल	2.86	132.89	2.71	99.28	33.61
सभी क्षेत्र	चमकीला	45.10	167.55	46.71	143.59	23.96
	मध्यम	27.82	140.44	36.56	120.48	19.96
	निम्न	32.43	82.72	34.97	74.74	7.98
	कुल	105.35	134.28	118.24	116.09	18.19

2016-17 फसल मौसम के दौरान दहमि और दकामि क्षेत्र दोनों में निम्न श्रेणी प्रतिशतता अस्वाभाविक रूप से 46% अधिक रहा था। इस के लिए 'आरेबान्खे' आपतन और अल्प वर्षा रिथर्टि आदि कारण रहा था।


दहमि और दकामि क्षेत्रों में निम्न श्रेणी तम्बाकू का अधिकाधिक उत्पादन के कारण चमकीला श्रेणी तम्बाकू के लिए अच्छा लाभदायक औसत प्राप्त होने के बावजूद भी कुल औसत मूल्य प्रभावित हुए।

च) क्रेता निष्पादन :

2017 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 80 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार रहे :

क्र. सं.	क्रेता संवर्ग	2016 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ			2017 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ		
		परिमाण मि. कि.ग्रा	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	परिमाण मि.कि.ग्रा	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	निर्माण कर्ता	59.82	50.60	121.63	48.96	46.47	143.46
2	निर्यातक	46.34	39.20	116.35	40.40	38.15	126.02
3	अन्य (डीलर)	12.08	10.20	87.67	15.99	15.18	127.04
	कुल	118.24	100.00	116.09	105.35	100.00	134.28

2017 आन्ध्र प्रदेश एफ जी वी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं की खरीदें निम्नानुसार रहे हैं:



कुल मिलाकर 105.35 मिलियन क्रि.ग्रा. तम्बाकू विपणन के लिए 149 नीलाम जिन लग गये।

छ) कुल विपणित मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 नीलामियों के दौरान विपणित कुल तम्बाकू मूल्य ₹ 1,414.60 करोड था।

ज) आधिक्य एवं अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 2997 (ई) & 2998 (ई), दि. 12 सितम्बर, 2017 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 7.5% सेवा प्रभार तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर और पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू का अप्राधिकृत ग्रोयर, जो 2016-17 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया है, को भी 15% सेवा प्रभार और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी।

आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा बिक्रित अतिरिक्त तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्रोयरों द्वारा बिक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू परिमाण विवरण निम्ननुसार रहे:

क्र. सं	ग्रोयर का संवर्ग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (मि. कि.ग्रा)	औसत मूल (₹ किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	10810	6107069	142.67
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	7	4397	102.62

II. कर्नाटका में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) 2017 कर्नाटका नीलामियों पर रिपोर्ट :

बोर्ड ने, धरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग तथा आपूर्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2017-18 फसल मौसम केलिए कर्नाटका में 99 मिलियन कि.ग्रा. का एफसीवी तम्बाकू फसल परिमाण निर्धारित किया। लक्षित 99 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण के लिए 106.12 मिलियन कि.ग्रा. उत्पादन का अनुमान है। किसानों इस मौसम में पहले ही याने., मार्ई महीने में ही ट्रान्सप्लानटेशन अपनाये थे, वर्षा भी अच्छी रही। प्रधान क्षेत्र में पौधों की स्थापना बहुत कम अन्तरालों के साथ अच्छी रही। पौधों की स्थापना के बाद, जून और जुलाई महीने के सविराम सूखा स्पेल के कारण फसल प्रभावित हुए लेकिन अगस्त, की दूसरी पक्ष में प्राप्त उपयुक्त वर्षा के कारण रिकवर हुए। कुल मिलाकर इस वर्ष में उत्पादित फसल “अच्छा” श्रेणी का रहा था। वर्तमान फसल केलिए चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए अनुमानित प्रतिशतता पूर्व फसल मौसम की 29%, 38%, 33%, की तुलना में 29%, 43%, 28%, रहा था। मध्यम श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन प्रतिशतता उच्चतर में साधारण होने का अनुमान था।

कर्नाटका में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री केलिए 12 नीलामियाँ नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 08 सितम्बर 2017 को प्रारंभ हुए। दि. 31/03/2018 तक ₹ 140.13 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में, जो अगले वित्तीय वर्ष याने, 2018-19 के लिए लगभग 4 मिलियन कि.ग्रा. शेष परिमाण को छोड़ते हुए 101.84


मिलियन कि.ग्रा परिमाण की विपणन हुई। 01/04/2017 से 31/03/2018 तक अवधि के लिए कर्नाटका में प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू पृष्ठ सं. 73 में दिये गये।

प्रारंभ दिन से बाजार उल्लासी रहा था और पिछले वर्ष प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में उच्चतर मूल्य प्राप्त हुई। 11 वीं सप्ताह तक मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लिए मूल्य कुछ सीमा तक याने., ₹5/- to ₹10/- तक गिरावट हुए। मूल्यों के नीचे झुकाव होने से किसानों ने अपने बेल लगभग प्रतिदिन के लिए 10,000 बेल से 5,000 बेल प्रति दिन प्रस्तुत (ऑफर) किये हैं। कार्यपालक निदेशक ने बाजार मूल्यों के बारे में भा तं सं और व्यापारी वर्ग के साथ समीक्षा किया तथा उनसे अनुरोध किया कि नीलाम मौसम के प्रथम भाग के दौरान प्रदत्त मूल्यों को बनाये रखें। 13वीं सप्ताह तक मूल्यों में धीरे-धीरे सुधार हुए तथा किसानों विस्तृत मात्रा में बेलों को बाजार में प्रस्तुत किये थे।

2017 कर्नाटका एफ सी बी तम्बाकू नीलामियों के दौरान निर्माणकर्ताओं, निर्यातिकों तथा डीलरों द्वारा किये गये क्रयों, जो विपणित कुल परिमाण में से क्रमशः 59.8%; 35.7%; 4.5% रहा था। दि.31/03/2018 तक कर्नाटका एफ सी बी तम्बाकू नीलामियों के दौरान चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणी तम्बाकू के लिए प्राप्त औसत मूल्य, जो अनुरूप परिमाण के लिए पिछले वर्ष की फसल की तुलना करते हुए नीचे दिये गये हैं :

श्रेणी	2017 नीलामियाँ		2016 नीलामियों में विपणित अनुरूप मात्राओं के लिए प्राप्त औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	2016 नीलामियों की तुलना में 2017 में औसत मूल्य में अंतर (₹/कि.ग्रा)
	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अवसर मूल्य (₹/कि.ग्रा)		
चमकीला	21.98	162.37	163.30	- 0.93
मध्यम	46.27	148.89	143.53	+ 5.36
निम्न	33.59	113.53	98.68
कुल	101.84	140.13	134.58	+ 5.55


2008 से कर्नाटका नीलामियों में ग्रोयरों द्वारा प्राप्त औसत मूल्य



ख) खरीदार सहभागिता तथा निष्पादन :

2017-18 कर्नाटका एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों के दौरान कुल 39 खरीदार भाग लिये। 2017-18 कर्नाटका नीलामियों के दौरान क्रयित तम्बाकू परिमाण, शेयर प्रतिशतता तथा निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों तथा डीलरों (अन्यों) के द्वारा प्रदत मूल्य, जो पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार रहे:

क्र. सं.	खरीदार का संवर्ग	2016 कर्नाटका नीलामियाँ			2017 कर्नाटका नीलामियाँ		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	ओसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा)	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	ओसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा)
1	निर्माणकर्ता	54.49	55.20	146.09	61.17	60.06	145.93
2	निर्यातक	39.51	40.02	120.27	36.31	35.66	131.35
3	अन्य (डीलर)	4.72	4.78	121.43	4.36	4.28	131.87
	कुल	98.72	100.00	134.58	101.84	100.00	140.13



ग) आधिक्य फसल एवं अप्राधिकृत फसल बिक्री के लिए ग्रोयरों को अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 354 (इ) & 355 (इ), दि. 23 जनवरी, 2018 द्वारा कर्नाटका राज्य में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 7.5% सेवा प्रभार तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर और पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूरूड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक अप्राधिकृत ग्रोयर, जो 2017-18 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया है, को भी 15% सेवा प्रभार और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी।

III आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू बिक्री के लिए नीलामियाँ :

i) 2018 चालू आन्ध्र प्रदेश नीलामियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट :

2017-18 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया। लक्षित 136 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण के लिए 127.37 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन अनुमानित था। प्रकाशम तथा नेल्लुरु जिलों में 2017-18 एफ सी वी तम्बाकू फसल, जो इस दिशा की पंक्ति में चौथा क्रमिक दीर्घ सूखा स्थिति में रहा था। इस से पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में, अगस्त तथा सितम्बर माहों के दौरान अच्छी वर्षा प्राप्त हुई और किसानों भी प्रधान क्षेत्र प्लानटेशनों को अपनाने के लिए प्रारंभिक कृषि को प्रारंभ किये थे। इस अनुकूल वातावरण की सहायता से दक्षिण हल्की मिट्टी (दहमि) क्षेत्र के ग्रोयरों ने इस मौसम में शीघ्र प्रतिरोपण को अपनाये तथा प्रतिरोपित फसल की स्थापना भी अच्छी रही। प्रतिरोपणों (द्रान्सप्लानटेशन) के बाद, सितम्बर महीने के अंत से कोई वर्षा प्राप्त नहीं हुई थी, के कारण फसल कठिन सूखा परिस्थितियों का सामना किया था।

दक्षिण काली मिट्टी (द का मि) क्षेत्र की स्थिति में, प्रतिरोपणों के प्रारंभ से सूखा स्थिति का अनुभव, जो पूरे फसल मौसम में भी जारी रहा। दहमि और दकामि क्षेत्रों दोनों में किसानों जीवन रक्षा सिंचाई को उपलब्ध करने ₹10,000/- से ₹20,000/- प्रति एकड़ के लिए अधिक राशियों को खर्च किये थे। इस प्रयत्नों के कारण पिछले दो वर्षों की तुलना में इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उत्तम गुणता वाली तम्बाकू उत्पाद करने में किसान सक्षम रहे थे।

उत्तर हल्की मिट्टी (उ ह मि) क्षेत्र में, चक्रवात (साईक्लोन) की पूर्वानुमान के कारण साधारणतः 15 दिनों की देरी से प्रतिरोपण प्रारंभ हुए। प्रतिरोपण अक्टूबर, 2017 की दूसरी पक्ष में प्रारंभ हुए। इस क्षेत्र में फसल सिंचाई स्थिति के अन्तर्गत अपनाये गये तथा वृद्धि और पैदावार साधारण रहा था।

समग्र रूप में, इस मौसम के दौरान कोई प्रदान पेरेट तथा बीमारी का आपतन नहीं पाया गया। “ओरबान्से” का प्रभाव भी शीघ्र प्रतिरोपण तथा फसल आवर्तन के कारण सीमित रहा था।

इस वर्ष के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और आकलित उत्पादन नीचे दिये गये थे :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मिलियन कि.ग्रा)	आकलित उत्पादन (मि. कि.ग्रा)
1	उकामि क्षेत्र	4.00	2.60
2	दकामि क्षेत्र	40.00	37.81
3	दहमि क्षेत्र	46.00	39.60
4	उहमि क्षेत्र	46.00	47.36
	समग्र योग	136.00	127.37

चालू फसल के लिए चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए अनुमानित आऊट टर्न, जो पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 43%:26%:31% की श्रेणी आऊट टर्न की तुलना में क्रमशः 47%:33%:20% रहा था।

ii) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :


आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 मौसम एफसी वी तम्बाकू फसल के लिए नीलामियाँ 3 दशाओं में निम्नानुसार प्रारंभ हुए :

क्र. सं.	दशा	नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ तारीख	नीलाम प्लैटफार्म
1	पहली दशा (दहमि क्षेत्र)	08/03/2018 गुरुवार	06 नीलाम प्लैटफार्म
2	दसरी दशा (दिकामि क्षेत्र)	19/03/2018 सोमवार	06 नीलाम प्लैटफार्म
3	त्रीतीय दशा (उकामि और उहामि क्षेत्र)	11/04/2018 बुधवार	06 नीलाम प्लैटफार्म

iii) बिक्री परिमाण एवं मूल्य :

द ह मि और द का मि क्षेत्रों के अंतर्गत सभी नीलामी प्लॉटफार्मों में नीलामियाँ सकरात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। मार्च, 2018 अन्त तक ₹157.68 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 1.64 मिलियन कि.ग्रा तम्बाकू का कुल परिमाण विपणित किया गया। इस चालू मौसम के दौरान प्राप्त ₹157.68 प्राप्ति कि.ग्रा. औसत मूल्य, जो अनुरूप विपणित परिमाण के लिए पिछले वर्ष में प्रति कि.ग्रा के लिए प्राप्त मूल्य से ₹3.06 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था।

iv) 2009 से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में ग्रोयरों को प्राप्त औसत मूल्य :



v) दि. 31/03/2018 तक चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य निम्नानुसार है :

श्रेणी	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹ /कि.ग्रा.)
चमकीला	1.41	86.39	158.18
मध्यम	0.22	13.53	154.70
निम्न	0.01	0.08	114.43
कुल	1.64	100.00	157.68

दि. 31/03/2018 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य पृष्ठ सं. 74 से 75 तक दिये गये ।

vi) 2017-18 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों के नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 01/04/2017 से 31/03/2018 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 205.94 मि.ग्रा. तथा उपार्जित औसतन मूल्य ₹ 137.07 प्रति कि.ग्रा.म रहा। विवरण पृष्ठ सं. 61 में दिये गये ।

दि. 01/04/2017 से 31/03/2018 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में खरीदे गये तम्बाकू का परिमाण, प्रतिशत हिस्सा तथा निर्माणकर्ता, निर्यातक एवं डीलरों के द्वारा प्रदत्त किये गये औसत मूल्यों के विवरण पृष्ठ सं. 76 से 77 तक दिये गये ।

vii) किसानों को मानकीकृत बेल पैकिंग सामग्री की आपूर्ति:

तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम, 1984 के विनियम, 7 के अनुसार नीलाम बिक्री के लिए लाये गये अपने तम्बाकू के पैकिंग के लिए सभी ग्रोयरों के द्वारा मानकीकृत बेल - पैकिंग के सामान का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम के 7(7) के अनुसार, बेल के लिए उपयोग किये गये तार के साथ पैकिंग सामग्री एक कि. ग्रा से अधिक भार न हो।

तदनुसार, बोर्ड ने पैकिंग सामग्री को मानकीकृत किया तथा भारतीय तम्बाकू संघ (भा.तं.सं) द्वारा ग्रोयरों को निशुल्क आपूर्ति करने की व्यवस्था किया। भा.त.सं. ने 2017-18 फसल मौसम के लिए कर्नाटका के तम्बाकू ग्रोयरों को 10,65,860 यूनिटों की बेल पैकिंग सामग्री तथा आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों को 10,22,000 यूनिटों की बेल पैकिंग सामग्री निशुल्क आपूर्ति किए। बोर्ड भी बेल पैकिंग सामग्री को ग्रोयरों को वितरण करने की व्यवस्था किया तथा मूल्य को व्यापारियों से वसूली करके इसे भारतीय तम्बाकू संघ को जमा करने की व्यवस्था किया ।

**2017 कनाटका बोलाभियां :: दि. 31/03/2017 तक डेटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण,
प्राप्त औसत मूल्य, दर्ज किये उच्चतम & निम्नतम बोली**

क्र. सं.	डेटफार्म का नाम	नी.प्ले. सं	लक्षित	आकलित	प्रारंभ की तारीख	विकित बेलों की संख्या	उच्चतम बिड (₹/कि.ग्रा)	निम्नतम बिड (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	तबाकू मूल्य (₹)	औसत बेल बजान (कि.ग्रा)
1	हेच.डी. कोटे - I	1	4.37	4.98	08.09.17	50339	167.00	9.00	4854266.9	657753164.95	135.50
2	हेच.डी. कोटे - II	65	4.80	4.84	08.09.17	49548	168.00	10.00	4783677.4	644457019.33	134.72
3	हुन्हूर - I	2	6.95	7.87	08.09.17	80568	169.00	10.00	7891146.7	1116991815.39	141.55
4	हुन्हूर - II	3	6.84	7.60	08.09.17	79868	169.00	5.00	7806583.6	1096668864.13	140.48
5	हुन्हूर - III	64	5.99	6.48	08.09.17	70000	169.00	9.00	6896346.8	976177889.54	141.55
6	कंपलापुरा - I	61	7.34	9.12	08.09.17	86816	170.00	7.00	8620027.6	1202235249.37	139.47
7	कंपलापुरा - II	62	10.46	11.99	08.09.17	114520	169.00	9.00	11335428.8	1583672757.65	139.71
8	पोरियापट्टना - I	4	12.04	12.03	08.09.17	107491	169.00	9.00	11108931.9	1588132904.42	142.96
9	पोरियापट्टना - II	5	10.90	12.50	08.09.17	104542	169.00	10.00	10808772.6	1543925078.18	142.84
10	पोरियापट्टना - III	6	10.19	10.80	08.09.17	104247	170.00	10.00	10705544.4	1496528051.68	139.79
11	रामनाथापुरा - I	7	10.54	10.09	08.09.17	89842	168.00	9.00	9027271.6	1264540205.73	140.08
12	रामनाथापुरा - II	63	8.58	7.82	08.09.17	80990	169.00	7.00	7999579.7	1099462233.97	137.44
कुल खोग		99.00	106.12	08.09.17	1018771	170.00	5.00	101837578	14270545234.33	140.13	100.0

2018 आव्यूह प्रदेश नीलाम - दि.31/03/2018 तक क्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसतम मूल्य, उच्चतम और निम्नतम बोली

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी.प्लै. सं.	लक्षित आकलित	प्रारंभ की तिथि	विकित बेलों की संख्या	उच्चतम बोली (₹ किला)	निम्नतम बोली (₹ किला)	विपणित परिमाण (₹ किला)	तरक्कारू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹ किला)	औसत बेल वजन (किलो)
1	तोरेहू	15	4.00	2.75	11.04.2018						
	कुल (३ का सि)		4.00	2.75	11.04.2018						
2	वेलांपत्ती - II	31	8.64	7.5	19.03.2018	1199	162.00	145.00	161248.4	25093476.01	155.62
3	ओंगोल - I	20	7.13	7.79	19.03.2018	600	161.00	146.00	81146.4	12675879.14	156.21
4	ओंगोल - II	23	8.43	6.61	19.03.2018	787	162.00	104.00	100408.3	15852462.40	157.88
5	लंगुटू - I	24	6.21	5.20	19.03.2018	944	163.00	140.00	126029.7	19946720.62	158.27
6	लंगुटू - II	34	5.42	4.80	19.03.2018	871	163.00	120.00	111360.5	17550414.80	157.60
7	कोडेपी	25	7.89	7.58	19.03.2018	689	161.00	150.00	94749.9	15025439.14	158.58
	कुल (८ का सि)		43.72	39.48	19.03.2018	5090	163.00	104.00	674943.2	106144392.1	157.26

क्रं. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी.प्लै. सं.	लक्षित आकलित	प्रारंभ की तिथि	विक्रित बेलों की संख्या	उच्चतम बोली (रु/किंवा)	निम्नतम बोली (रु/किंवा)	विपणित पहिलाण (रु/किंवा)	तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (रु/किंवा) (किलो)	औसत वेत्ता वजन (किलो)	
8	पोदिलि - II	22	11.09	7.07	08.03.2018	788	161.00	122.00	108207.7	16922602.20	156.39	137.3
9	कंडुकूर - I	26	7.97	8.76	08.03.2018	2057	162.00	150.00	283412.1	44801784.77	158.08	137.8
10	कंडुकूर - II	27	7.16	6.88	08.03.2018	1649	162.00	151.00	228144.5	36087897.01	158.18	138.4
11	कनिगिरी	35	4.55	3.81	08.03.2018	792	161.00	150.00	109925.1	17251645.19	156.94	138.8
12	कलिगिरी	28	5.15	3.60	08.03.2018	771	163.00	154.00	104405.1	16582662.03	158.83	135.4
13	डी. सी. पल्ली	29	6.36	5.31	08.03.2018	945	160.00	150.00	133921.4	21264039.89	158.78	141.7
	कुल (द ह सि)		42.28	35.43	08.03.2018	7002	163.00	122.00	968015.9	152910631.1	157.96	138.2
14	देवरपह्नी	17	7.50	7.37	11.04.2018							
15	जे.आर.गूडेम - I	18	10.4	10.50	11.04.2018							
16	जे.आर.गूडेम- II	32	10.57	11.00	11.04.2018							
17	कोच्चलगूडेम	30	9.71	10.20	11.04.2018							
18	गोपालपुरम	33	7.82	8.20	11.04.2018							
	कुल (उ ह सि)		46.00	47.27	11.04.2018							
	महा योग		136.00	124.93	08.03.2018	12092	163.00	104.00	1642959.1	259055023.2	157.68	135.9

दि. 01/04/2017 से 31/03/2018 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2016-17 आं.प.फसल दि. 01/04/2017 से 09/10/2017 तक		2017-18 आं.प.फसल दि. 08/03/2018 से 31/03/2018 तक		2017-18 कर्नाटका फसल दि. 08/09/2017 से 31/03/2018 तक		कुल	
		परिमाण (लि कि गा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	परिमाण (लि कि गा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	परिमाण (लि कि गा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	परिकाण (लि कि गा)	औसत.दर (₹/किग्रा)
निर्माणकर्ता									
1	आई टी सी लिमिटेड	40476058.4	142.68	39.50	843516.9	157.19	51.34	54484324.5	146.19
2	जी पी आई लिमिटेड	6723239.4	145.60	6.56	107773.4	158.82	6.56	6683092.8	143.88
उप कुल		47199297.8	143.10	46.07	951290.3	157.37	57.90	61167417.3	145.93
निर्यातक									
1	पोलिशट्टि सोमसुदर्शन	12663727.9	126.65	12.36	47573.3	159.27	2.90	9923010.7	134.21
2	एग्जाप्लस वन इंडिया लिमिटेड	1373116.5	132.04	1.34	53255.4	158.09	3.24	4177887.6	145.83
3	आईटी शूप	1024282.5	168.46	1.00					
4	प्रीमियर ट्रॉको पेकर प्र.लिमिटेड	55633387.8	135.74	5.43	221522.0	157.87	13.48	974776.5	145.83
5	एम.एल. ४ को शूप	1402890.9	148.44	1.37	42292.0	158.73	2.57	1663661.5	124.33
6	मिट्टिपली आदिनारायण ए.प्र.लिमिटेड	1061498.3	129.37	1.04	3185.0	157.94	0.19	1109398.1	99.51
7	यार्लंगडा एक्सपोर्ट्स	619856.3	111.34	0.60				206278.0	152.56
8	वॉनिमडाला वेचरस प्र.लिमिटेड								
9	मिट्टिपली एणो प्रोडक्ट्स प्रा.लिमिटेड	2845049.0	76.48	2.78				2004706.2	107.72
10	बोनिमडाला पूर्णया होटेल्स प्रा.लिमिटेड	445737.4	166.91	0.44					445737.4
11	लकड़मी एनटरप्रेज़न्स	302102.4	162.37	0.29				248372.1	111.19
								556474.5	139.28
								0.24	0.27

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2015-16 आं प्र.फसल			2016-17 आं प्र.फसल			2016-17 कर्नाटिका फसल		
		परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	% हिस्सा
12	प्रपल्ला एग्रास लिमिटेड	61258.5	125.40	0.06	2438.4	154.9	0.15	51872.0	122.46	0.05
13	चैतन्य दुवाके कंपनी							20430.5	127.56	0.02
14	अदिवाश टोबाको	292393.7	117.10	0.29				87444.9	146.32	0.09
	EXPORTERS									
15	पंचाजात्या टोबाको							100428.8	125.26	0.10
16	मोहनमद एटर. प्रा. लिमिटेड	2270511.4	155.27	2.22	645.1	159.58	0.04	1814234.7	145.72	1.78
17	वेंकट युरेष एक्टरप्रेजेस									
18	वाणी टोबाको	55263.2	171.99	0.05				244844.9	114.60	0.24
19	एथेनिक थूप	2900223.1	72.99	2.83				2484373.7	105.00	2.44
20	डेक्कन टुबाको कंपनी थूप	5205451.4	141.71	5.08	96458.9	156.25	5.87	10078435.8	136.21	9.90
21	षेक मस्तान साहेब टोबाको	780263.4	81.45	0.76	13433.3	154.45	0.82	65319.8	112.38	0.64
22	वेंकट साई टोबाको के.	111275.6	121.20	0.11	1135.1	156.73	0.07			
23	हासिद एक्स्पोर्ट	28750.2	64.94	0.03				74142.4	151.65	0.07
24	कार्टन टोबाको	24132.7	123.93	0.02				383356.8	122.97	0.38
25	श्री हनुमा एक्टरप्रेजेस	522289.5	105.19	0.51				12176.3	160.74	0.01
	उप कुल	39553491.7	125.36	38.60	481938.5	157.67	29.33	36312951.3	131.35	35.66
	अन्य (ईलर)	15706095.4	126.45	15.33	209730.3	159.06	12.76	4357209.4	131.87	4.28
	कुल योग	102458884.9	133.70	100.00	1642959.1	157.68	100.00	101837578.0	140.13	100.00
								2059394220	137.07	100.00

व्यापार संक्षेप

I. मूल्य समर्थन प्रचालन :

अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपयों के आंशिक रकम के साथ 1984 में व्यापार संक्षेप को भारत सरकार ने सृजन किया। मार्केट की स्थिति और उसके द्वारा ग्रोयरों की ऊची की संरक्षण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्म पर बचे-कुचे तथा अविक्रित तम्बाकू को खरीदना व्यापार संक्षेप का उद्देश्य है।

31.03.2018 तक मार्जिन राशि ₹ 20.06 करोड़ बोर्ड के साथ उपलब्ध रहा। इसमें पूर्व वर्षों में व्यापार संक्षेप द्वारा किये लाभों और प्राप्त ब्याज को मिलाकर सम्मिलित रहा था। 2017-18 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यापार संक्षेप द्वारा कोई समर्थन मूल्य प्रचालन में नहीं हैं, जो कि बाजार उल्लासी रहा तथा ग्रोयरों बेहतर मूल्य प्राप्त किये थे।

II. प्रोसेसर / निर्माता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातिक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धाराएँ 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के तहत वर्जीनिया तम्बाकू की पद्धतीकरण, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से, फार्मों अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालन करना है। पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, कैलेण्डर वर्ष के लिए मात्र मान्य है।

वर्ष 2017 के लिए तथा वर्ष 2018 के लिए (दि. 31/03/2018 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं:

क्रम संख्या	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2017	2018 (31/03/2018 तक)
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	16	14
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	33	35
3	तम्बाकू निर्यातिक	168	139
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातिक	282	245
5	तम्बाकू डीलर	605	485
6	तम्बाकू पैकर	25	22
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	35	33
	कुल	1160	973

डिजिटल इंप्रिंट्स पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारी को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली का प्रारंभ किया। वर्ष 2016 कॉलेंडर वर्ष से सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों का ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था। तदनुसार, वर्ष 2017&2018 के लिए तम्बाकू बोर्ड आवेदनों की ई-फैलिंग और व्यापारी वर्ग का रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण पर 100% लक्ष्य हासिल की थी।

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के विपणन एवं निर्यात

2017-18 के दौरान एफ सी वी तम्बाकू और गैर एफ सी वी तम्बाकू, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के सभी सिंगलेंटों में भारतीय निर्यात, जो 2016-17 के दौरान रहे निर्यातों की तुलना में घट गये। ₹ 5,539.94 करोड़ मूल्य के कुल मिलाकर 2,12,916 मेट्रिक टन तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात किये गये। डालरों के शब्दों में यूएस \$ 859.45 मिलियन का कुल निर्यात किया गया।


I. भारत से तम्बाकू निर्यात :


क) समग्र निष्पादन :

वर्ष 2017-18 के लिए भारत से तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, जो पूर्व वर्ष में किये गये निर्यात की तुलना में क्रमशः परिमाण, मूल्य रूपयों में और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 8%, 7% और 4% घट गये। 2017-18 के दौरान भारत से अनिर्मित तम्बाकू (एफसीवी & गैर-एफसीवी तम्बाकू) तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, जो पूर्व वर्ष की तुलना के साथ निम्न प्रकार रहे।

क्रम संख्या	संबंध	2017-18			2016-17		
		परिमाण मि.टनों में	मूल्य ₹.करोड़ों में	मूल्य.मि. यू.एस \$. में	परिमाण मि.टनों में	मूल्य ₹. करोड़ों में	मूल्य.मि. यू.एस \$. में
I	अनिर्मित तम्बाकू						
क	एफसीवी तम्बाकू	124686	3059.903	474.58	144131	3428.45	512.03
ख	गैर-एफसीवी तम्बाकू	56901	810.92	125.85	55250	812.52	121.20
	कुल	181587	3870.52	600.43	199381	4240.97	633.23
II	तम्बाकू उत्पाद	31329	1669.42	259.02	32419	1734.11	258.68
	कुल योग	212916	5539.94	859.45	231800	5975.08	891.91
	% पूर्व वर्ष परिवर्तन	-8	-7	-4	-5	-1	-3

अप्रैल 2017, मार्च 2018 के लिए अवधि के लिए परिवर्तन गुणक : 1 यूएस \$ = Rs.64.46





पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किये गये ₹. 3,428.45 करोड़ मूल्य के 1,44,131 मेट्रिक टन निर्यातों की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹. 3,059.60 करोड़ मूल्य के 1,24,686 मेट्रिक टनों के क्रम में एफसीवी तम्बाकू निर्यात-परिमाण, मूल्य रूपयों में तथा यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 13%, 11% तथा 7% घट गये।

पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में 2017-18 अवधि केलिए अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात-परिमाण, मूल्य रूपयों और यूएस डालरों के शब्दों में 9%, 9% तथा 5% घट गये।

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किये निर्यातों की तुलना में, तम्बाकू उत्पादों के निर्यात के संबंध में, परिमाण और मूल्य रूपये शब्दों में क्रमशः 3% और 4% घट गये।

अ) अनिर्मित तम्बाकू निर्यात :



वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत के अनिर्मित तम्बाकू निर्यात, जो कुल तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के कुल निर्यातों, परिमाण के शब्दों में लगभग 85% तक तथा रूपये के शब्दों में 70% तक हिसाब रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान परिमाण के शब्दों में भारतीय अनिर्मित तम्बाकूओं के लिए अन्य मुख्य बाजारों में इजिप्ट, दक्षिण कोरिया, यूएई और रूस, के साथ - साथ अग्रणी निर्यात गतव्य में बेलिजिलम जारी रहा था। शीर्ष पांच गतव्यों में से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर दक्षिण कोरिया को निर्यात बढ़ गये, जहाँ कि बेलिजियम, इजिप्ट, यूएई और रूस देशों को तम्बाकू निर्यात घट गये।

ग) अनिर्भित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात :

(परिमाण मेट्रिक टनों में मूल्य ₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	2017-18				2016-17			
	परिमाण	कुल में % शेयरा	मूल्य	मूल्य	परिमाण	कुल में % शेयरा	मूल्य	मूल्य
पश्चिम यूरोप	57035	31.41	1411.99	36.48	69289	34.75	1590.67	37.51
पूर्व यूरोप	28777	15.85	644.86	16.66	28644	14.37	687.97	16.22
मध्य पूर्व	22042	12.14	378.41	9.78	23964	12.02	416.01	9.81
दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	28719	15.81	620.02	16.02	31714	15.91	743.56	17.53
अफ्रीका	27672	15.24	531.82	13.74	29908	15.00	557.67	13.15
उत्तर और दक्षिण अमेरिका	17179	9.46	277.88	7.18	15599	7.82	236.21	5.57
आस्ट्रेलेशिया	163	0.09	5.54	0.14	263	0.13	8.88	0.21
कुल	181587	100	3870.52	100	199381	100.00	4240.97	100.00



घ) अतिर्भित तम्बाकू के तम्बाकू किस्म वार निर्यात :

वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय अनिर्भित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से ₹. 3,059.60 करोड़ मूल्य के 1,24,686 मेट्रिक टन के एपसीवी किस्म तम्बाकू, जो परिमाण के शब्दों में 69% और रूपये के शब्दों में 79% का हिसाब रहा। गैर-एफसीवी तम्बाकू निर्यात परिमाण के शब्दों में 31% और रूपये के शब्दों में 21% का शेष हिसाब रहा है। गैर-एफसीवी तम्बाकू के लिए ₹ 810.92 करोड़ मूल्य के 56.901 मेट्रिक टन निर्यात रहा। 2017-18 के दौरान किस्म वार तम्बाकू के विघटन (ब्रेकअप) 2016-17 की तुलना में निम्न प्रकार है :

(परिमाण में.टन, मूल्य :₹ करोड़)


किस्म	2017-18				2016-17	
	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूरूड वर्जीनिया	124686	-13.49	3059.60	-10.76	144131	3428.45
उप-कुल (एफसीवी प्रकार)	124686	-13.49	3059.60	-10.76	144131	3428.45
बर्ली	32494	18.38	477.71	14.30	27450	417.96
सन् क्यूर्ड नाटू	6449	16.75	95.16	25.77	5524	74.07
टॉप लीफ / जट्टी	500	-81.81	6.66	-79.20	2749	32.02
लाल चोपडिया	5527	-34.74	67.78	-42.90	8469	118.70
बीड़ी	537	3.87	0.76	-42.86	517	1.33
रस्टिका	1183	-52.18	16.04	-50.54	2474	32.43
अन्य	10211	26.58	148.81	9.41	8067	136.01
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	56901	2.99	810.92	-0.20	55250	812.52
कुल योग	181587	-8.92	3870.52	-8.74	199381	4240.97

ङ) तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :

2017-18 के दौरान, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों कुल भारतीय निर्यातों में से, परिमाण के शब्दों में 14% तथा रूपये के शब्दों में 30% तम्बाकू उत्पाद निर्यात का हिसाब रहा। यह परिमाण तथा मूल्य डालरों के शब्दों में, जो पिछले वर्ष के दौरान किये निर्यातों की तुलना में क्रमशः 3% और 4% घट गये। फिर भी, यह यूएस डालरों मूल्य के शब्दों में 0.13% मार्जिनल रूप में बढ़ गये।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य रु. करोड़)

क्रम सं.	उत्पाद संवर्ग	2017-18				2016-17	
		परिमाण	% व-द-व परिवर्तन	मूल्य (रु.)	% व-द-व परिवर्तन	परिमाण	मूल्य (रु.)
1	सिगरेट	8806	-15.90	463.42	-25.29	10471	620.32
2	बीडियाँ	266	-14.74	33.66	-12.63	312	38.53
3	हुक्का तम्बाकू पेस्ट	4480	-26.30	72.68	3.16	6079	70.45
4	चर्वण तम्बाकू	14507	20.39	1035.77	11.71	12050	927.14
5	कट तम्बाकू	3192	-6.22	57.19	-19.00	3404	70.62
6	सूँधनी	16	-67.34	0.76	-49.33	49	1.50
7	सिगार	62	-14.81	5.94	7.02	54	5.55
	कुल	31329	-3.36	1669.42	-3.73	32419	1734.11



II. निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप :-

क) विदेश - मेले & प्रदर्शनियाँ

1. विश्व तम्बाकू मध्य पूर्व 2017 दुबाई, यू.ए.ई.

दि. 05-06 दिसंबर, 2017 के दौरान भारतीय तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात के लिए टोबाको जर्नल इंटरनेशनल के सौजन्य से क्वार्टर्ज बुजिनेस मीडिया द्वारा आयोजित विश्व दुबाको मध्य पूर्व, दुबाई में तम्बाकू बोर्ड ने भाग लिया। इस मेले में तम्बाकू बोर्ड की तरफ से श्री. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., सचिव और श्री के. रवि कुमार, प्रबंधक (नीलाम) ने भाग लिये। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री आर.एस. निरस्त, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग भी भाग लिया।

ख) विदेश को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियाँ :

1. ईरान को भारतीय तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि मंडल :

श्री अदंकि श्रीधर बाबू, भा.तं.सं., सचिव, तम्बाकू बोर्ड के नेतृत्व में एक भारतीय तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि मंडल दि. 17 से 21 फरवरी, 2018 को तेहरान, ईरान को विजिट किया।

श्री आर. सुब्बाराव चौधरी, प्रबंधक (विपणन & निर्यात), तम्बाकू बोर्ड भी इस व्यापार प्रतिनिधि मंडली में भाग लिया। इसके अतिरिक्त भारतीय तम्बाकू उद्योग से 4 प्रतिनिधियों भी इसमें भाग लिये।

राजभाषा कार्यव्ययन

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकर के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम :

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- “क” क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। “ख” और “ग” क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफें, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड़ मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- “क” क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा “ग” क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। नवंबर, 2017 सत्र के दौरान नौ कर्मचारियों क्रमशः पारंगत, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाओं में अपने प्रशिक्षण समाप्त कर चुके थे।





“हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेस्टोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्घरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 14 से 20 सितम्बर, 2017 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागियों को ज्ञापिकाएँ तथा पुरस्कार वितरित किये गये।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक “हिन्दी मिलाप” अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलियाँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर लोड किया गया तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों उनका उपयोग किया जा रहे हैं।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान आठ (04 दिन - प्रतिदिन 02 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 14 से 19 सितम्बर, 2017 तक आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करता है, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वयित किया जा सकता है।

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाष कर सकेगी। 1991-92 से तम्बाकू बोर्ड, भारत सरकार से किसी प्रकार की योजना व गैर-योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन अधिनियम के अनुसार गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

I) आंतरिक स्रोत :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए, “सेवा प्रभार” के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्रोयर के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, समान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, “प्राधिकार शुल्क” को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त, ग्रोयरों, बखार प्रचालकों, डीलरों, निर्यातिकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करता है।

बोर्ड पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर प्रतिवर्ष सरकार अपने राजपत्र अधिसूचना द्वारा निर्धारितानुसार के अनुसार जुर्मानाएँ लगायेगी। 2017 नीलामियों के दौरान प्रथिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2 प्रति किलो के हिसान से अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों से 7.5%@ अतिरिक्त प्रभार लगाये हैं। आगे, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटका में अप्राधिकृत उत्पादित तम्बाकू के लिए पंजीकृत ग्रोयरों और अपंजीकृत ग्रोयरों से प्राधिकृत कोटा के अतिरिक्त 10% तम्बाकू की बिक्री पर ₹ 2 प्रतिकिलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों से 15% अतिरिक्त शुल्क लगाये, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 14-के प्रावधानों के अनुसार 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड के आन्तरिक स्रोतों, जिसमें सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों ग्रोयरों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर व्याज आदि., हैं, से संबंधित सं.आ.2017-18 में किये ₹ 10,936.10 लाख का बजट प्रावधान (प्राप्तियाँ) के विपरीत ₹ 14,477.23 लाख की राशि उपार्जित की।

II) बजट प्रावक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट आकलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्रावक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केवल सरकार की स्वीकृती के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रस्ताव अर्थात् बजट प्रावक्कलन एवं संशोधित प्रावक्कलन क्रमशः ₹ 18,642.83 लाख तथा ₹ 17,389.60 लाख के आऊटले के साथ पूँजी व्यय और स्थापना केलिए राजस्व व्यय, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलामियों को आयोजित करने और विस्तार विकासात्मक योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार रक्कंध योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं पर उठाये गये प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय को (कवर) तैयार किया। सरकार को, उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये गये थे।

बजट आऊटले ₹ 17,389.60 लाखों के विपरीत विभिन्न लेखा शीषों के अंतर्गत व्यय के रूप में ₹ 13,389.80 लाखों की रकम की व्यवस्था की गई।

संशोधित आकलन 2017-18 में किये ₹ 10,936.10 लाखों की राशि, जो बजट प्रावधान (प्राप्तियों) के विपरीत, सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों और ग्रोयरों से पंजीकरण शुल्क, मियादी जमाओं पर व्याज आदि., बोर्ड के आंतरिक रौतों के रूप में 2017-18 वित्तीय वर्ष दौरान ₹ 14,477.23 लाख राशि उपार्जित की गई।

2006-07 से 2017-18 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका पृष्ठ सं. 123 में दी गई है।

वर्ष 2017-18 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा, और तम्बाकू निधि के लेखा के प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार रक्कंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना (टैयर - 1), तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

**दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं
महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

1. हमने, दि. 31 मार्च, 2018 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लैटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बैंगलूर के लेखों शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।
2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल है। व्याय, नियम एवं विनियम (सम्पत्ति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्त्रव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रबाधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड (गुण्टूर के) द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।

(iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :

क) तुलन पत्र

वर्तमान देयताएँ और प्रावधान : ₹ 177.91 करोड (अनुसूची-7)

तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों, जिन्होंने सेवा निवृत्ति वय प्राप्त किये थे, को दी जानेवाली उपदान और भारतीय जीवित बीमा निगम द्वारा आकलितानुसार सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना से संबंधित और गैर-प्रावधान के कारण ₹ 40.71 करोड उक्त का व्यूनोक्ति रहा है। इसके फलस्वरूप इस वर्ष के लिए ₹ 40.71 करोड का घाटा की व्यूनोक्ति उठानी पड़ी।

ख. प्रबंध पत्र

कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्ठूर के ध्यान में लाया गया।

- V. पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।
- VI. हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धातों के अनुसरण में एक सच्चा और तटरथ दृश्य देते हैं:
 - क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2018 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड, गुण्ठूर के मामलों की स्थिति का; तथा
 - ख. जहाँ तक आय - व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की तरफ से
/- xx xx xx
(एल. तोच्छांग)
महा निदेशक

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय,
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2018.

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड में आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग के लिए कोई अलग मंजूर संरच्चा नहीं है। आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटका के नीलाम प्लैटफार्म और प्रादेशिक कार्यालयों के लेखाओं का लेखा परीक्षण बोर्ड के मौजूदा कर्मचारियों को डिप्लाईमेंट करने के द्वारा किया जाता है। फिरभी, वर्ष 2017-18 के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षण आयोजित नहीं किया था। आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली, जो बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त तथा अनुरूप नहीं हैं।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जो बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति, जो उक्त बिन्दु सं. (1) के अन्तर्गत निर्धारित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमी के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

3. स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है। बोर्ड द्वारा सूचितानुसार स्थिर संपत्तियों को वार्षिक आधार पर भौतिक सत्यापन किये जाते हैं।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची के लिए भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं। बोर्ड द्वारा सूचितानुसार वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली प्रतिवर्ष के अन्त में किया जाता है।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियाँ जैसे., संपत्ति कर और सेवा कर (आदि) को निर्धारित तारिख के अंदर प्रषित (भुगतान) किया।

ह/- xx xx xx

(एल. तोच्छांग)

महा निदेशक

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय,

हैदराबाद

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31/03/2018 तक तुलन पत्र

(₹ हजारों में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि और देयताएँ			
1. कार्पस / पूँजी निधि	1	5814068	6100877
2. आरक्षण और उपरी	2	0	0
3. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ	3		
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार संबंध के लिए अनुदान सहायता)		219658	204275
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		250356	243297
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		1545098	1308735
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		2791	7007
ड) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना		561291	550839
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5. असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6. अस्थागित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	1779098	1109808
कुल		10172360	9524838
संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ	8	1099009	1141497
2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश	9	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार संबंध के लिए अनुदान सहायता)		219658	204275
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		250356	243297
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		1545098	1308735
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		2791	7007
ड) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना		561291	550839
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	6494157	6069188
5. विविध व्यय		0	0
कुल		10172360	9524838
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा गया	
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)	25	अनुसुचियों में रखा गया	

ह /- XX XX XX
 (अद्वितीय श्रीधर बाबू)
 सचिव

ह /- XX XX XX
 (मनोज कुमार छिवेदी)
 कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष एवं
 संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि 31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(हजारों ₹ में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आय			
I. विक्रियां / सेवाओं से आय	12	555769	532936
II. अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0
III. शुल्क / चान्दे	14	20055	19298
IV. निवेशों से आय (उद्घिष्ठ / धर्मस्व निधियों को अन्तरित)	15	2260	2116
V. रॉयलटी, प्रकाशनों आदि, से आय	16	2361	375
VI. अर्जित व्याज	17	386131	419201
VII. अन्य आय	18	413116	517376
VIII. संपूर्ण वर्स्तुओं के स्टाकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0
कुल		1379692	1491302
2. व्यय			
I. स्थापना खर्च			
क) गैर - योजना	20	1361817	1163986
II. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		0	0
क) गैर - योजना	21	254688	218388
ख) योजना	21	0	32443
III. अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0
VI. व्याज	23	0	0
V. मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	47986	49960
कुल		1664491	1464777
3. व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)		-284799	26525
VI) विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0
VII) सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0
VIII) पूर्व वर्षों के भुगतान			
क) पूर्व वर्षों के अवमूल्यन		-2010	4666
4. कार्पस / पंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष		-286809	21859
5. उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा	
6. चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पणि	25	अनुसुचियों में रखा	

ह /- XX XX XX

(मनोज कुमार द्विवेदी)

कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष एवं
संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग

ह /- XX XX XX
 (अद्वितीय श्रीधर बाबू)
 सचिव

**उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष
(तुलन पत्र)**

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंध को अनुदान सहायता) लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	204275409.00	188884667.00
ख	निधि लेखा को जोड़		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	15383120.37	15390742.00
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	219658529.37	204275409.00
घ	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क+ख-ग)	219658529.37	204275409.00

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	243296847.45	239865583.45
ख	निधि लेखा को जोड़		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	17303889.00	18382852.00
	ख) अंशदान	71295082.00	66738570.00
	ग) साभनि आग्रम की वसूली	122035.00	375151.00
	घटाये :		
	क) निकासी	-81661979.00	-82065309.00
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	250355874.45	243296847.45
घ	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	250355874.45	243296847.45

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	1308735001.17	1003605024.17
ख	निधि लेखा को जोड़		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	110116878.00	86918009.30
	ख) पेंशन निधि अंशदान	401364175.00	400000000.00
	घटाये :		
	क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-275118225.00	-181787932.30
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	1545097829.17	1308735101.17
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	100.00
	कुल (ग)	0.00	100.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	1545097829.17	1308735001.17

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क	अथशेष	7007474.00	25282645.00
ख	निधि लेखा को जोड़		
	क) निवेशों से आय		
	(मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	182707.00	1841323.00
	ख) पेंशन निधि अंशदान	10010257.00	7151676.00
	घटाये :		
	क) एन एस डी एल, मुंबई को		
	प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-14409832.00	-27268170.00
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	2790606.00	7007474.00
घ	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	2790606.00	7007474.00

तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना लेखा

क्र. स.	विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)			
क्र. स.	विवरण	आन्द्रा प्रदेश	कर्नाटका	कुल	कर्नाटका	कुल
क. अथशब्द	निधि लेखा को जोड़ क) निवेशों से आए (मीआदी जमा & बर्बं खाता पर व्याज)	306057743.46	244781349.12	550839092.58	275212348.51	225603399.29
ख. ऊ) गोयर अंशदान	20728000.00	14518248.00	35246248.00	21352710.00	16615176.00	37967886.00
ग) तम्बाकू बोर्ड अंशदान	1525000.00	1620000.00	3145000.00	1699000.00	1376200.00	3075200.00
घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	2398623.86	3239872.24	5638496.10	3396000.00	2752400.00	6148400.00
ड) स्थिरिंगों का गोयर का शेयर	21924015.00	21881270.21	43805285.21	20485654.00	21522104.46	42007758.46
च) जुमनाई	0.00	0.00	0.00	2173829.95	1778242.45	3952072.40
छ) अहंों पर व्याज	136500.00	10700.00	147200.00	65800.00	47716.00	113516.00
ज) विविध भुगतान	1000.00	0.00	1000.00	7401.00	1000.00	8401.00
घटाये :				0.00	0.00	110.92
क) गोयरों को मृत्यु राहत	-35240000.00	-42291615.65	-77531615.65	-18335000.00	-24915000.00	-43250000.00
ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क + ख)	317530882.32	243759823.92	561290706.24	306057743.46	244781349.12	550839092.58
ग. निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय						
i) पूँजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	317530882.32	243759823.92	561290706.24	306057743.46	244781349.12	550839092.58

(पी. मीना कुमारी)
प्रबंधक (वि. च.ले) (प्रभारी)

अनुसूची - 24 : 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार है :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा। (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाजी एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम रटॉक लेखे के तहत दिखाया गया। लेखन सामाजी और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
 2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा।
- परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, व्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय

विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में + (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में) आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।

3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर ये संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपकरण, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेयिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया गया है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ती के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म - 65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया गया है।

6. मूल्यहास :

मूल्यहास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपेनि अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यहास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यहास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यहास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कौपियर मशीन आदि., को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कौपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यहास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यहास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्वलाइट & लाइट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं है। तम्बाकू ग्रोयरों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू के लिए बिक्रियाँ, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में नीलाम बिक्रियाँ तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियों निम्नानुसार है :

- क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत -** जहाँ इस अधिनियम के तहत बोर्ड के द्वारा स्थापित किये गये किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री की जाती है, बोर्ड अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी के लिए, इस दिशा में ऐसी बिक्री के संबंध में बोर्ड के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार के द्वारा ऐसे तम्बाकू के मूल्य की दो प्रतिशत से अधिक न रहनेवाले दर पर, अपनी तरफ से अथवा इस दिशा में शुल्क आरोपित करने के लिए सक्षम रहनेवालों की तरह से;
- ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत -** उपधारा (1) के तहत लगाया गया शुल्क, बोर्ड के द्वारा अथवा ऐसे अधिकारी के द्वारा ऐसे तम्बाकू के वर्जीनिया तम्बाकू के विक्रेता और खरीदार - दोनों से, यथा निर्धारित किया जाएगा, वसूला जाएगा।
- ग) 14 - क के अंतर्गत क्रेता पर उद्घात्त शुल्क -** तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम के धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्मों के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।
- घ) विक्रेता से शुल्क वसूली विधान -** तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राथिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दग्गी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडरों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।
- ङ) धारा 14 - क के अधीन खरीदार पर शुल्क वसूली विधान -** तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14 - क के अधीन, खरीदार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

च) खरीददार से शुल्क वसूली विधान - तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ते के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगा।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेदित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगा ।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलायों और एफ सी वी तम्बाकू की बिक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जी एफ आर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाएं।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निवंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

13. तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रयुक्ति, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अन्तर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संबंधित और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्राप्तिका के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची 25 :

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएँ।

1. आकस्मिक देयताएँ : आकस्मिक देयताओं के विवरण तुलन पत्र में सूचित किया है।

2. पूँजी प्रतिबद्धताएँ : शून्य।

3. पट्टे (लीज) बद्धाताएँ :

तम्बाकू बोर्ड ने निम्नलिखित परिसरों जैसे., आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल - II, कोंडपी तथा टंगुटूर - II और कर्नाटका में कंपलापुरा - II प्लैटफार्म और कर्नाटका में नीलाम निदेशालय, बेंगलूर & प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, पेरियपट्टना और आन्ध्र प्रदेश में प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, राजमहेन्द्रवरम, हैदराबाद और नई दिल्ली संपर्क कार्यालय को लीज पर लिये गये।

4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :

बोर्ड द्वारा अपनाये चालू संपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अन्तर्गत दिये गये।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 10 (29 क) (घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर के भुगतान से छूट दी गई।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर टिप्पणी

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्ठूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत, किया गया।

ख) लक्ष्य :

यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित के तहत, केन्द्र सरकार, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) अपने नियंत्रण लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की आंशिक रकम से, वाणिज्य शाखा का सृजन किया गया। वाणिज्य शाखा का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले व्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा -

- क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- ख) संसद के तीन सांसद, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा के द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी:

- i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
 - vi) गुजरात सरकार और
 - vii) कर्नाटक सरकार।
- घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों से भिन्न तम्बाकू, उगानेवाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य।

ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दस से अधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यौहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी है), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

* परंतु इस अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी।

च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करता है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार-तम्बाकू विधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित, की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी;

क) इस अधिनियम या तब्दीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;

ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरमार द्वारा दी गई कोई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;

ग) कोई अनुदान या उधार जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;

घ) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वयन करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार निधि का उपयोग निम्नलिखित किया जायेगा।

- क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
- ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;
- ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;
- घ) किन्हीं उधारों प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार - बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा।

(1) बोर्ड उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्रूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महोलेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महोलेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक - महोलेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहिर्यों, लेखा सम्बद्ध वातचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तदविषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजना नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा उन में, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

1. बोर्ड ने तुलन पत्र और आय व व्यय लेखा में लेखा ऑकड़ों को हजारों रूपये तक पूर्ण कर (रॉक्फेलर आफ), जहाँ पर अनुसूचियों में राशियों को सही समझने तथा वित्तीय विवरणियों को समझने वार्तविक ऑकड़ों में दिया गया ।
2. लेखाओं के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2018 को समाप्त वर्ष केलिए कुल देय राशि ₹16,14,99,540.35 है ।
3. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक - I से III (अनुसूची - 8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया।
4. दि. 31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 21,98,747.86 पर मूल्यांकित लेखान - सामाजी एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वार्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया ।
5. 2017-18 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹549,29,17,807.18 हैं । लेखा परीक्षकों के सुझाव के अनुसार यह आवधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची - 11 में प्रदर्शित करना होगा। सभी आवधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया । आवधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण के अनुलग्नक क्रम में पाया ।
6. स्थिर संपत्तियों प्रोरेटा पर मूल्यहास को मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार है :

 1. भूमि-पट्टधृति : 360 महीनों की अवधी
 2. भवन : पट्टाधृति भूमि पर : 276 महीनों की अवधि
 3. पूर्णधृति भवन : 1.58% (आरसीसी छत) & 3.17% और - आरसीसी
 4. फर्नीचर और फिटिंग्स और विद्युत उपकरण : 9.50% साइकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टार्पलीन : 9.50% ट्राली, वेयिंग स्केल & क्यूबिकल्स : 9.50%
 5. कार्यालय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण : 19.00%, वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन : 19.00%
 6. अग्नि शामक : 19%

7. कंप्यूटर : 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर शामिकों द्वारा कठोरता से प्रचालित किया जाता है। इन ट्रालियों का टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों पर मूल्यहास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिन्डरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे। आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महँगा है। उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यहास के साथ दि. 31/10/2018 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 4,99,96,359.09 की कुल रकम का मूल्यहास किया गया है।

7. दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों के लिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज किया गया। फार्म - 65 के व्यय विवरण के अनुसार, रखरखाव कार्यों और विद्युत कार्यों से संबंधित ₹ 71,42,941.00 राशि को कैपिटलैज किया गया।
8. दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 1,06,59,534.80 की रकम खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं।
9. दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखे के लेखों पर ₹ 2,31,18,308.05 की रकम खर्च हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जो एस पी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्रोयरों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस व्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि, शामिल हैं।
10. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्रोयरों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 55,57,69,135.33 प्राप्त हुई।

11. 2017-18 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान / सहायता को प्राप्त नहीं किया गया ।
12. दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी को व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में ₹ 9,81,376.10 की राशि खर्च की है ।
13. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति प्राप्त किये हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं के भुगतान करने केलिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹ 13,53,37,189.00 की राशि रही है ।
14. दि. 31/03/2018 तक तुलन पत्र के अनुसूची - 11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 649,41,56,516.62 राशि उपलब्ध रहा था ।
15. ₹ 16,02,484.00 की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकदमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय व्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये व्यायाधीन (सबजुडिस) हैं। बोर्ड ने, ब्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही । अधिकाधिक लेनदार तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है । बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही । बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है । जहाँ बोर्ड ने व्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा । अतः हैदराबाद में दि. 28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122 वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बढ़े खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया । क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बढ़े खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है । इस संबंध में, बोर्ड ने पत्र सं 3 (20) / 2006-07 / एलआरसी, दि 27/09/2007 और दि. 07/01/2008, 13/05/2008, 23/03/2009, 12/04/2010, 11/10/2010, 30/04/2013, 07/02/2014, 24/10/2014, 28/07/2015, 09/06/2016 & 20/02/2017 को अनुस्मारक लिखा । इस संबंध में सरकार की स्वीकृत प्रतिक्षित है ।
16. तम्बाकू बोर्ड द्वारा समय पर लीज पर परिसर को निष्कासन नहीं करने के संबंध में गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म के संबंध में अतिरिक्त जिला जज व्यायालय, कोच्चुल के साथ मामले के रूप में व्यायालय से संबंधित ₹ 110.65 लाख आकस्मिक देयता राशि रहा था ।
17. ओंगोल - II नीलाम प्लैटफार्म से संबंधित अनिश्चित देयता से संबंधित ₹ 13.38 लाख राशि अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज व्यायालय, ओंगोल, प्रकाशम जिला के साथ विचाराधीन रहा है। पीटीशनर ने कारारनामा समय के खिलाफ बोर्ड द्वारा लीज पर किये परिसर को पूर्व निष्कासन किरायों के लिए दावा किया । डामेज ₹ 13.38 लाख + दि. 31/12/2015 से 18% ब्याज और अन्य लीगल प्रभार के लिए दावा किया ।

18. कर्नाटका राज्य ग्राहक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों के अनुसार ₹ 25,000/- की राशि, जो राज्य इंड्रासल आयोग, बैंगलूर के साथ उपलब्ध रहा है, को 31/03/2018 तक के तुलन-पत्र की संपत्तियों तरफ दिखाया गया ।
19. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यिक प्राचलनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर - 1) तथा तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य केलिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मरव निधियों की अनुसूचि - 3 के अंतर्गत दर्शाया गया है।
20. वाणिज्यिक प्रचालन (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंगर्तत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 21,96,58,529.37 राशि उपलब्ध रहा था । व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए रु. 1.25 करोड मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया । 1987 और 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों केलिए ₹ 0.91 करोड लाभ प्राप्त किया दि. 31/03/2018 तक नियत जमाओं पर व्याज के रूप में ₹ 19.81 करोड प्राप्त किया ।
21. सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 25,03,55,874.45 उपलब्ध रहे । ब्राड शीट के अनुसार चंदा के व्याज को मिलाकर पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 23,87,24,252.00 है। आवधिक जमाओं पर उपार्जित व्याज अधिशेष राशि ₹ 1,16,31,622.45 है अधिशेष राशि, जो सा भ नि के लिए पदाधिकारियों के अंशदान के देय व्याज से आधिक है ।
22. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत निधियों में, भा.जी.नि, विजयवाडा के साथ ₹ 154,47,02,877.00 राशि बैंक में नकद के रूप में और ₹ 3,94,952.17 राशि कुल मिलाकर लेखा बहियों में ₹ 154,50,97,829.17 राशि उपलब्ध रहा है । भारतीय जीवित बीमा निगम ने निधि लेखा के बीमांकित (एकचुरियल) मूल्यांकन के अनुसार दि. 01/03/2018 तक ₹ 228.96 करोड की कुल निधि आवश्यकता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उपलब्ध निधि ₹ 154.47 करोड को ध्यान में रखने हुए ₹ 74.49 करोड की राशि जमा करने के लिए अनुरोध किया था । अतः ₹ 74.49 करोड देय राशि को लेखा बहियों में देयता के रूप में ली गई है ।
23. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत रहे खाता बहियों के अनुसार ₹ 27,90,606.00 की राशि निधि उपलब्ध थी। तम्बाकू बोर्ड के 121 एन पी एस पदाधिकारियों के लिए 112 पदाधिकारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार सा भ नि के दरों में व्याज सहित कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान के संबंध

- में एन एस डी एल, मुंबई को अंशदान और व्याज राशियाँ रेमिट करने के संदर्भ में नया पेंशन योजना के अंतर्गत 9 पदाधिकारियों को ₹15,48,537.00 राशि देय है। एफ डी आर पर प्राप्त व्याज से संबंधित ₹ 12,42,069.00 आधिक्य राशि, जो बैंकों के साथ पदाधिकारियों को देय व्याज के लिए किये निवेशित अंशदान से अधिक है।
24. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना के अंतर्गत निधि में बही खातों के अनुसार ₹ 56,12,90,706.24 की राशि (आव्ध प्रदेश ₹ 31,75,30,882.32 + कर्नाटक में ₹ 24,37,59,823.92) उपलब्ध रहा था ।
- भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आगि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा तम्बाकू किसानों से और अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए ग्रोयरों के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग्रोयर कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति प्रदान किया । 2009-10 के दौरान यह निधि खाता का सृजन हुआ था ।
25. उपदान (ग्राट्युरी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने केलिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है । सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युरी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता का प्रावधान की जाएगी । इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 वर्षों केलिए अवकाश वेतन, ग्राट्युरी और अर्ध वेतन का भुगतान के संबंध में ₹ 20.00 करोड़ कुल देनदारी प्रदान की गई है । उपादान, अवकाश वेतन तथा अर्थ वेतन अवकाश के लिए निधि का सृजन प्रगताधीन है।
26. नीलामकार सेवा (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवाओं (वाहनों को भाड़ा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹ 1,78,44,311.00 राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सी ई एस टी ए टी, बेंगलूर, हैदराबाद और आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क & सेवा कर, गुन्टूरु के अधीन हैं। कंपेनियों से देय राशि ₹ 5,05,322.98 को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया।
27. 2014-15 वर्ष के लिए (₹3,500/- से ₹7,000/- तक राशि को बढ़ाने के कारण प्रत्येक को ₹3,500/- बकाया) और वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए प्रत्येक को ₹7,000/- हिसाब से बोर्ड के कर्मचारियों को बेनस भुगतान से संबंधित ₹89.95 लाख राशि को देयता राशि के रूप में रखा गया।

28. दि. 01.01.2018 से 31.03.2018 तक बोर्ड के पूर्व 2016 पेंशनरों & परिवार पेंशनरों को 7 सीपीसी के बकाया भुगतान करने की देयता से संबंधित ₹ 31,89,000.00 का प्रावधान किया गया।
29. दि. 31.03.2018 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, कंप्यूटरों का रखरखाव, तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड हिस्सा) को देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
30. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों को रसायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रहा है। 2008-09 तक ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस टी सी एल) की सेवाओं ली थी।

2009-10 के दौरान, मेसर्स. एस टी सी एल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्रोयरों को, जो कि यह के बी ए ठी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञाप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और कर पर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूरु को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था।

इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अपीलेट न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूरु को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डी सी सी टी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹91,36,703/- को जमा करने पर मामला स्वीकार किया। उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बी ए टी लेखा परीक्षा - 1, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975.00 राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था। अतः पूरा कर जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर को दि. 25/11/2016 को चुकाई गई।

डी सी सी टी बी ए टी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर राशि प्राप्त करने के बाद, फिर से ₹3,04,55,678/- राशि के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर व्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को दूसरा डिमान्ड नोटीस जारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस का चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूरु के सामने दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27.05.2011 को जारी, जो अभियोजिक (डी सी सी टी, बी ए टी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805.00 की राशि को पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटिरम स्टेज जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा बी ए टी, सी एस टी और के ई टी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01.04.2005 से 31.03.2016 तक रहे कर अवधि के लिए 15.03.2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है, तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना के 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग के लिए योग्य हैं।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जारिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज के छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को नस्तित किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करने बोर्ड की अपील को डिसमिस करने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बैंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया।

तम्बाकू बोर्ड की प्रमुख रसीद (आन्तरिक स्रोत) :

31. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने, उनके नीलाम प्लैटफार्मों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विपणित तम्बाकू का मूल्य पर @ 2% “सेवा प्रभार” के रूप में शुल्क लगायेगा। सेवा प्रभार, जो ग्रोयर द्वारा बिक्रित और क्रेता द्वारा क्रयित तम्बाकू पर प्रत्येक से @ 1% हिसाब से ग्रोयर तथा क्रेता से समान रूप से वसूल करेगा।
32. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम / विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार ग्रोयर, बखार प्रचालक & नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने ग्रोयरों से रजिस्ट्रेशन शुल्क और निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू के वाणिज्यक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए व्यापारियों और क्रेताओं, जिन्होंने नीलामियों में भाग लिये थे, से प्राधिकरण शुल्क वसूल करेगा।
33. तम्बाकू बोर्ड, पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा पैदा किये गये आधिक्य तम्बाकू तथा गैर-पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा किये गये तम्बाकू पर जुर्माना लगाता है। यह दण्ड शुल्क प्रतिवर्ष सरकार के गजट अधिसूचना द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। यह जुर्माना समय-समय पर बदल जाते हैं। 2017 नीलामियों के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए प्रति कि. ग्रा. के लिए ₹ 2/- और बिक्री प्रोसीडों से 7.5% जुर्माना,

जो प्राधिकृत कोठा के 10% सीमा तक अनुमति दिया गया। आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटका में प्राधिकृत कोठा से 10% सीमा से अधिक पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर प्रति कि. ग्रा. के लिए ₹ 2/- तथा बिक्री प्रोसीडों में से 15% लगाने, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के अनुसार 1% सेवा प्रभार शामिल है, को लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दिया गया।

34. अचर जमाओं पर व्याज, ऋणों & अग्रिमों पर अधिकारियों & कर्मचारियों से प्राप्त व्याज विभिन्न फुटकर प्राप्तियाँ भी बोर्ड की रसीदें हैं।

तम्बाकू बोर्ड का मुख्य व्यय :

35. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, बोर्ड द्वारा स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति पर प्रधान व्यय को गैर-योजना के तहत कवर किया है।

36. नीलामियों का अविघ्न आयोजन करने के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का प्रावधान और तम्बाकू की गुणवत्ता & पैदावार की वृद्धि, ईधन, क्यूरिंग लागत & समय बचाव करने के लिए विस्तार & विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाने आदि., पूँजी प्रकृति की व्यय को योजना के तहत कवर किया गया है।

37. आय व व्यय लेखा के अंतर्गत योजना और गैर-योजना व्यय का वर्गीकरण को बजट परिपत्र 2017-18 में अलिखित मार्गदर्शन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए 2017-18 से डीलिंक किया जाता है।

38. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत उठाये गये व्यय को अलग से दिखाए गये और व्यय मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में किया गया है।

बोर्ड की प्राप्तियों की लेखा के अंतर्गत ₹144.77 करोड़ प्राप्त हो गया। जिसके लिए 2017-18 के लिए ₹133.90 करोड़ व्यय किये गये।

39. वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के निदेशक लेखा-परीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, हैदराबाद के अ. स. पत्र दि. 27/11/2017, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2016-17/1.42303 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा सुझावित संशोधनों को 2017-18 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में अपनाये गये। वे निम्न प्रकार हैं :

- क) वर्ष 2017-18 के लिए नियत परिसंपित्तयों पर मूल्यहास की परिकलनों को सुरक्षित एवं तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित किया गया।
- ख) तम्बाकू बोर्ड के सभी उद्दीष्ट निधियों के बैंक शेष, निवेशों के अथशेष और अन्तशेष, निवेश और अन्य भुगतान सहित अन्य रसीदों के साथ निवेश पर आय को 2017-18 वर्ष के लिए तुलन पत्र और रसीद & भुगतान विवरण के संबंधित सूची में प्रक्षेपित किया गया।
- ग) परिसंपत्तियों और चालू परिसंपत्तियों, को तम्बाकू बोर्ड के तुलनपत्र में ऋण & अग्रिम के तीन लेखाशीर्षों के अंतर्गत “तम्बाकू निधि” शब्दों को 2017-18 वर्ष के वित्तीय विवरणियों में से हटा दिया गया है।

ह/- xx xx xx

(पी. मीना कुमारी)

प्रबंधक (वि व ले) (प्रभारी)

**तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डा
तम्बाकू निधि लेज़ा - वित्तीय विवरणियाँ**

वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान / दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि						(रुपये ₹ में)
प्राप्तियाँ		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I.	अथशेष :				I. स्थापना खर्च	
	बैंक शेष				1. वेतन और मजदूरी	516391555.00
1.	चालू खाताएँ	302304849.14	459065584.63		2. भत्ते और बोनस	921891.00
2.	जमा खाताएँ	5416795973.44	5126905032.39		3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00
3.	बचत खाताएँ	0.00	0.00		4. पेंशन निधि को अंशदान	400000000.00
	उद्देश्य / धर्मरक्ष निधियाँ				5. पेंशन निधि को अंशदान (न में यो)	3631459.00
1.	चालू खाताएँ				6. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00
i)	वा. प्रधालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार रक्षण को अनुदान)	5000.00	5000.00		7. सेवानिवृत्ति और टम्भेनल लाभ	197510192.00
2.	जमा खाताएँ	0.00	0.00		8. अन्य :	
3.	बचत खाताएँ				क) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	279825.00
i)	तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	670850.45	356609.45		ख) चिकित्सा दावे (अधिकारी गण व स्टाफ)	8021485.00
ii)	तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड	187113.17	51480.17		ग) छुटिया दावे	1075093.00
iii)	तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	316081.00	616.00		घ) स्टाफ को वर्द्ध	288256.00
iv)	तम्बाकू गोदान कल्याण निधि योजना	20003761.12	12152623.64			128786.00
II	प्राप्त अनुदान		0.00			

दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
III. निवेश और जमाएँ क) उद्दिष्ट / राजस्व निधि (एफ डी आर)			II. अन्य प्रशासनिक व्यय		
i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि व्यापार रक्षण को सहायता अनुदान	194068352.00	180549956.00	1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए या.भ. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए या.भ. बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशासनिक रखरखाव भवन/ कर्टर्स/ नी.ज्लैटफर्म	14646.00 10798145.00 390612.00 3275130.00	38553.00 7498816.00 192105.00 2198533.00
ii) तर्कारू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य अधिक्षय निधि	230920705.00	230493106.00	5. अवयनों का किराया	15024628.00	12754064.00
iii) तर्कारू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि	1308547888.00	1003553544.00	6. मुद्रण और स्टेशनरी (कार्यालय रखेशब्दारी सहित)	4739309.00	1927641.00
iv) तर्कारू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन निधि	6439119.00	24191746.00	7. विद्युत शुल्क	10391369.00	10412330.81
v) तर्कारू उत्पादक कल्याण निधि योजना ऊ) निजी निधि	495956252.00	460495230.00	8. डाक और टेलीफोन शुल्क बैठकों पर व्यय	4526230.72 1587501.00	4723885.00 1927485.00
vi) निवेश पर आय क) उद्देष्ट / राजस्व निधि (एफडीआरए)	0.00	0.00	9. विद्युत व्यय	10214279.80	9818070.88
vii) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (इंडिग विंग के लिए अनुदान)	6607137.97	13518396.00	10. मनोरंजन व्यय	678981.00	658468.00
viii) तर्कारू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य अधिक्षय निधि	83484742.00	83128149.00	11. परिक्राओं के लिए सदस्यता	283023.00	295650.00
ix) तर्कारू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि	511481053.00	486918009.30	12. फर्नीचर और अन्य सापिन्तयों की मरम्मत	866153.00	857717.00
x) तर्कारू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन निधि	10307006.00	9831008.00	13. फर्नीचर और अन्य सापिन्तयों की मरम्मत	341933.00	369005.00
			14. वाहन शुल्क		
			15. कर्यशालाएँ और समिनार		0.00

दि. 31 जार्च, 2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
v) तम्बाकू ग्रोथर कल्याण निधि योजना ii) निजी निधि 3. कियाए क) परिसर पट्टा पर किया v. प्राप्त किया व्याज क) बैंक जमा 2. ज्ञान और अधिम (अधिकारी) vi. अन्य आय	93324596.50 0.00	89932659.48 0.00	II. अन्य प्रशासनिक व्यय 16. दरें और कर 17. बैंक शुल्क 18. कानूनी शुल्क 19. वाहनों का भाड़ा 20. वाहनों का रखरखाव 21. बीमा 22. लेखा परीक्षा शुल्क 23. साम जि को व्याज योगदान 24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	3548062.00 13467.15 398725.00 8158976.00 3334478.00 119985.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3925538.00 10358.00 301233.00 9064343.00 2871866.55 941082.00 0.00 0.00 0.00
1. उत्पाद पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र, बार्ट ऑपरेटर और नसरी में) 2. नियर्तकों के पंजीकरण शुल्क 3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क 4. टीलर पंजीकरण शुल्क 5. पेकर्स पंजीकरण शुल्क 6. ग्रोसेसर पंजीकरण शुल्क 7. वाणिज्यिक ग्रेडर पंजीकरण शुल्क 8. निर्माता पंजीकरण शुल्क 9. मूल्यवान प्रकाशनों की बिक्री (टीजीपीबीए) 10. विधि आय 11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क 12. पंजीकरण ग्रोयरों से जुम्मना @ 6.5% 13. एक किलो को जुम्मना @ 2/- पंजीकृत अपंजीकृत ग्रोयरों से	1100239.00 14764318.38 883250.00 1330100.00 1362550.00 35600.00 158000.00 446500.00 54150.00 959000.00 2360800.00 56426129.75 555769135.33 66841033.38 40187070.40	1248468.00 13079955.23 989300.00 1494200.00 1564658.00 51600.00 446500.00 64650.00 1123000.00 374896.62 40776043.99 532936335.59 80204485.64 61531253.90	25. ऋण वसूली व्यय 26. पुरकालय किताबें कानूनी शुल्क वेनिंग एकेल के लिए सेवा शुल्क मुद्या शामिक शुल्क अस्थायी संरचनाओं का निर्माण मानव संसाधन विकास ई-नीलामी प्रणाली का कार्यव्यापन कार्यालय का स्थावर (एमआईएस) अंतराइन एफसीवी तम्बाकू का विनियमन और विकास वैज्ञानिक तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान पिण्डन सुविधाओं का कार्या और स्थारखा	0.00 19583.00 2006305.00 2672719.00 26612330.34 0.00 67700.00 49449913.35 47079474.00 487551.00 943669.00 3161416.00 66788.00	0.00 16674.00 1815164.00 2936579.00 32374690.98 0.00 252000.00 487551.00 756721.00 1359749.00 17685.00

दि. 31 जार्व, 2018 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
14. पंजीकृत अपंजीकृत गोयरों से 14% के जुर्माना	251550971.23	340764670.67	37. गोयरों को चिनीय राहत (चक्रवात में फसल / बखार क्षति)	0.00	0.00
15. खरीदारों प्राधिकरण शुल्क	644900.00	769100.00	38. विदेश में किसान अध्ययन दूर	0.00	0.00
16. कर्मचारियों के लिए ऋण और अधिकम	1749881.00	3944503.00	39. गाजार का सर्वेक्षण	0.00	0.00
VII. उथार ली गई राशि	0.00	0.00	40. विदेशों को ल्यापार प्रतिनिधि मंडल	217706.40	0.00
VIII. कोई अन्य रसीदों 1. अन्य देनदारियाँ	448403479.91	65248217.75	41. मेले और प्रदर्शनी	763669.70	1520020.80
2. एसीटीओ और अन्य के साथ जमा	219687.00	1650190.00	42. प्रसार और प्रचार	989552.00	1855414.00
			43. फर्म नशीनीकरण	856250.00	2400902.00
			44. एफजीबी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	7144724.00	6572645.00
			45. वस्त्रिहा प्रथाओं में सुधार	7911330.00	12257975.00
			46. एवटीआएस और उत्पाद अंजडता का उन्नत	3790466.00	7301414.00
			47. पीहेचिपिएम उपाय - बलिकंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएं	30000.00	105000.00
			48. अन्य विस्तार कार्यक्रम	2352898.00	1408671.00
			49. ऑन-फर्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	412543.00	371615.00
			50. नमूना परियोजना क्षेत्र	1094036.00	2205338.00
			51. तम्बाकू गोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	1393400.00	0.00
			52. वाणिज्यिक कर दड और व्याज	3449430.00	0.00
			III. निधि के विलाप किए गए भुगतान	0.00	0.00
			III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान और सहिती पर व्यय	0.00	0.00
			IV. विवेश और जमा		

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i) उद्दिष्ट / राजस्व निधि (एफडीआरए)					
क) वा. प्रयालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार स्कंद के लिए अनुदान)			200675489.97		194068352.00
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि			233011572.00		230920705.00
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि			154470287.70		1308547888.00
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन फंड			2606182.00		6439119.00
इ) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना अन्य भुगतान			508713603.00		495956252.00
क) वा. प्रयालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग टिंग के लिए अनुदान)			0.00		0.00
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि			81661979.00		82065309.00
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि			275118225.00		181788032.30
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन निधि			14409832.00		27268170.00
इ) तम्बाकू गोदायर कल्याण निधि योजना नियनी फंड			89639935.65		46620500.00
ii) निश्चित संपत्ति पर व्यय			0.00		0.00
V. निश्चित संपत्तियों की खरीद			1226512.00		1644756.00
1. अधिकारी					
2. अधिकारी के लिए					
क) सीपीडब्ल्यू डी			1399158.00		18180266.00
ख) ऐट्स			739643.00		26121934.00
vi. अधिशेष धन / ऋण की वापसी			0.00		0.00
vii. वित्तीय शुल्क (व्याज)			0.00		0.00
viii. अन्य भुगतान			1283738.00		2643776.00
1) कर्मचारियों को ऋण और अधिकारी					

दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
2) किसानों को ऋण और अग्रिम			0.00	0.00	
3) अन्य देवदारियाँ		212905494.47			
4) एसिटिओ और अन्य के साथ जमा		391511.45			
IX. अन्तर्शेष					
बैंक शेष					
1. चालू खाताएँ	716211998.20		302304849.14		
2. जमा खाताएँ	5492917807.18		5416795973.44		
3. बचत खाताएँ	0.00		0.00		
उद्दिष्ट / राजस्व निधि					
1. चालू खाताएँ					
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	5000.00		5000.00		
2. बचत खाताएँ					
3. जमा खाताएँ					
i) तरक्काकृ गोई के कर्मचारी साकान्य भविष्य निधि	402746.45		670850.45		
ii) तरक्काकृ गोई कर्मचारी पेंशन निधि	394952.17		187113.17		
iii) तरक्काकृ गोई कर्मचारी नई पेंशन निधि	46192.00		316081.00		
iv) तरक्काकृ गोईर कल्यान निधि योजना	10931070.97		20003761.12		
कुल	10578782112.58	9689395395.55	कुल	10578782112.58	9689395395.55
				ह/- xx xx xx	

(अदानीक श्रीधर बाबू)
सचिव

(रुनोज कुमार द्विवेदी)

कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष
और संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष :

1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्गिन राशि (व्यापार रकंदा को अनुदान सहायता) लेखा

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बि हेच, गुण्डूर)	5000.00	5000.00
	ख) निवेश (आवधिक जमा)	194068352.00	180549956.00
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज)	6607137.97	13518396.00
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)	200680489.97	194073352.00
ज.	भुगतान		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्त शेष		
	क. निवेश (मीआदी जमा)	200675489.97	194068352.00
	ख) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बी हेच (गुण्डूर))	5000.00	5000.00
	कुल भुगतान (ज + घ)	200680489.97	194073352.00

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसवीएच, गुण्डूर)	670850.45	35609.45
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	230920705.00	230493106.00
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज)	12067625.00	16014428.00
	ख) अंशदान	71295082.00	66738570.00
	ग) सा भनि अग्रिम की वसूली	122035.00	375151.00
	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)	315076297.45	313656864.45
ज.	भुगतान		
	क) निकासी	81661979.00	82065309.00
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	224700.00
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	233011572.00	230920705.00
	ख) बैंक के नगद (बचत खाता) (एस बी एच - गुण्डूर)	402746.45	670850.45
	कुल भुगतान (ज + घ)	315076297.45	313656864.45

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि हेच गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	187113.17	51480.17
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा बैंक खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	1308547888.00 110116878.00 401364175.00	1003553544.00 86918009.30 400000000.00
ग.	कुल प्राप्तियाँ (क+ख)	1820216054.17	1490523033.47
	भुगतान		
घ.	क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी ख) बैंक प्रभार	275118225.00 0.00	181787932.30 100.00
	अन्तरोष		
क.	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि हेच गुण्टूर)	1544702877.00 394952.17	1308547888.00 187113.17
	कुल भुगतान (ग+घ)	1820216054.17	1490523033.47

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष(₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि हेच गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	316081.00 6439119.00	616.00 24191746.00
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जम & बैंक खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	296749.00 10010257.00	2679332.00 7151676.00
ग.	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	17062206.00	34023370.00
	भुगतान		
घ.	एनएसडिएल मुंबई को प्रोषित राशि (पेंशन अंशदान)	14409832.00	27268170.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
क.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि हेच गुण्टूर)	2606182.00 46192.00	6439119.00 316081.00
ख.	कुल भुगतान (ग + घ)	17062206.00	34023370.00

5. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटिका	कुल
क.	अथ शेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एक वि हेच गुण्टू) (एस बी एच, बैंगलूरु) छ) निवेश (मीआदी जमा)	35777064.08 286610642.00	16426697.04 209345610.00	20003761.12 495956252.00	255166.57 261149125.00	11897457.07 199346105.00	12152623.64 460495230.00
ख.	प्राप्तियाँ : क) निवेशों से आय (मीआदी जमा और बैंक खाता) ख) ग्रोयर अंशदान ग) तम्बाकू बोर्ड अंशदान घ) सदरस्यता शूलक नवीकरण ड) रसीफिया का ग्रोयर हिस्सा च) त्रुमाना छ) ऋणों पर व्याज ज) विविध रसीद झ) विवाह ऋण अ) शिक्षा ऋण ट) प्रधान बीमारी ऋण ठ) बच्चार डामेज ऋण	13069597.00 1525000.00 9254000.00 21924015.00 0.00 136500.00 1000.00 0.00 47500.00 541230.44 55000.00 122500.64	15990952.00 1620000.00 4680000.00 21526646.82 0.00 10700.00 0.00 0.00 2410713.73 223240.87 56000.00 130000.00	29060549.00 3145000.00 13934000.00 43450661.82 0.00 147200.00 10000.00 0.00 2458213.73 764471.31 111000.00 252500.64	22858844.00 1699000.00 0.00 20485654.00 2173829.95 65800.00 7401.00 0.00 125000.00 324519.56 365116.00 353750.00	15477255.00 1376200.00 0.00 21522104.46 1778242.45 47716.00 1000.00 0.00 999760.14 195709.00 40647.00 35000.00	38336099.00 3075200.00 0.00 42007758.46 3952072.40 113516.00 8401.00 110.92 1124760.14 520228.56 405763.00 388750.00
	कुल रसीद (क + छ)	336864049.16	272420560.46	609284609.62	309863206.08	252717307.04	562580513.12

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आनंद प्रदेश	कर्जाटिका	कुल	आनंद प्रदेश	कर्जाटिका	कुल
ग.	भुगतान क) ग्रोयरों को मूल्य राहत स) विवह ऋण ग) शिक्षा ऋण घ) प्रधान वीमारी ऋण ड) वर्खार डामेज ऋण	35240000.00 550000.00 648500.00 250000.00 140000.00	42291615.65 9150000.00 629820.00 50000.00 690000.00	77531615.65 9700000.00 1278320.00 300000.00 830000.00	18335000.00 100000.00 980500.00 150000.00 110000.00	24915000.00 1725000.00 75000.00 100000.00 130000.00	43250000.00 1825000.00 1055500.00 250000.00 240000.00
घ.	अन्त शेष क) निवेश (मीआदीजमा) स) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसबीहेच, गुण्डू) (एसबीएस, बैंगलूरु)	298770205.00 209943398.00 1265344.16	508713603.00 10931070.97	286610642.00 3577064.08	209345610.00 16426697.04	495956252.00 20003761.12	
	कुल भुगतान (ग + घ)	336864049.16	272420560.46	609284609.62	309863206.08	2522717307.04	
						562580513.12	

2006-07 से 2017-18 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शनेवाला विवरण

		(₹ लाख)											
क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	अथशेष (योजना & गैर-योजना)	11040.23	13078.14	14740.62	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21
2	प्राप्तिवाच्य												
क)	गैर-योजना	5498.84	6621.68	8843.57	11900.92	11689.90	15650.73	11541.65	15083.54	16581.13	15387.68	14399.60	14477.23
ख)	योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सहायता अनुदान												
क)	गैर-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख)	योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जोड़ : फुटकर प्राप्तिवाच्य (पूर्व अवधि के अंतिरिक्त सेवा प्रभारों का समायोजन)	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	कुल (आई ही आए) (1 से 4)	17117.07	19699.82	23584.19	30769.26	34411.76	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44
6	व्यय												
क)	गैर-योजना	3005.25	4379.67	3690.17	1703.68	1148.77	1565.04	2054.13	2061.98	1728.82	634.50	748.37	13389.80
ख)	योजना	1033.68	579.53	1025.68	6343.72	7394.64	5547.67	7351.08	8179.71	8540.79	10550.30	10849.08	0.00
	कुल व्यय	4038.93	4959.20	4715.85	8047.40	8543.41	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45	13389.80
(6)													
7	अन्तर्शेष (5-6)	13078.14	14740.62	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64

संकेताक्षर

आं.प्र	आंध्र प्रदेश
एपीएफ/ए.पी.एफ	नीलाम प्लैटफार्म
ओ.मू.	औसत मूल्य
बीएटी	बिटिश अमेरिकन टोबैको
बीजी	बैंक गारंटी
सीएसीपी	कृषि लागत और मूल्य आयोग
सीबीएस	केन्द्रीय काली मिट्टी
सीएमओ	आम बाजार संगठन
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीपीए'एस	फसल सुरक्षा एजेंटों
सीटीआरआई	केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान
इएलएस	पूर्वी हल्की मिट्टी
इयू	योरुपीय संघ
एफसीवी	फ्लू कूरिड वर्जीनिया
जीआई	गाल्वनैजिड आईरन
जीआरएल	गाइडेंस अवशिष्ट स्तर
जीएसपी	सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली
हेचए. हे.	हैक्टर
आईएलटीडी	भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन
आईपीएम	एकीकृत कीट प्रबंधन
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन
आईटीए	भारतीय तम्बाकू संघ
आईटीसी	भारतीय तम्बाकू कंपनी
आईटीडीए	भारतीय तम्बाकू डीलर संघ
केके के.के	कर्नाटका
केएल एस	कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ
एलएसआई	स्थायी निर्देश के पत्र
एम.केजीएस/एम.केजीएस	मिलियन किलोग्राम
एमइपी	न्यूनतम निर्यात मूल्य
एमजीपी	न्यूनतम गारंटी मूल्य
एमकेटीडी.	विपणित
एमपीए	मोडल परियोजना क्षेत्र
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एनबीएस	उत्तरी काली मिट्टी
एनएपीहेचएम	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान
एनएलएस	उत्तरी हल्की मिट्टी
एनपीवी	न्यूक्लियर पालिहेन्ड्रासिस वैरस
एनटीआरएम	गैर तंबाकू से संबंधित सामग्री
ओएफटी'एस	आन फार्म परीक्षण
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीहेचपीएम	फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंधन
क्यूटीवाई.	परिमाण
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएटीइएस	रेल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं
एसएलएस	दक्षिणी हल्की मिट्टी
एसबीएस	दक्षिणी काली मिट्टी
एसटीएल	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
टीबीएस	पारंपरिक काली मिट्टी
टीओएलएसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीक्यूसी	तम्बाकू गुणवत्ता मंडल
यूएइ	संयुक्त अरब अमीरात
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएस	अमेरिका

DISCOVER INDIAN TOBACCOS



Reliability

Value for money

Competitive prices

Consistent in deliveries

State-of-the-art technology

Ability to meet the exacting demands



TOBACCO BOARD
INDIA

AN ISO 9001:2000 CERTIFIED ORGANIZATION



Phone : +91-863-2358399, 2358068

E-mail : info@indiantobacco.com

Visit us at : <http://www.Indiantobacco.com>



श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., दि. 20/09/2018 को कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।



TOBACCO BOARD

Government of India, Ministry of Commerce & Industry,

Department of Commerce

P.B. No. 322, G.T. Road

Guntur - 522 004, Andhra Pradesh, India.

Ph : 91 863 2358399, Fax : 91 863 2354232

E-mail : info@indiantobacco.com, Website : www.indiantobacco.com